



कॉर्पोरेट कार्यालय
254–260, अक्वै षण्मुगम सालै,
रायपेट्टा, चेन्नै – 600 014

Corporate Office
254 - 260, Avvai Shanmugam Salai,
Royapettah, Chennai – 600 014

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग(वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल
साधन (ओएवीएम) के माध्यम से
असाधारण आम बैठक की सूचना

**NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) /
OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)**

बृहस्पतिवार, 11 नवंबर 2021 को सुबह 11.00 बजे (आईएसटी)

Thursday, the 11th November, 2021 at 11.00 A.M. (IST)



महत्वपूर्ण जानकारीयाँ

IMPORTANT INFORMATIONS

ई-ईजीएम की तिथि और समय Date and Time of e-EGM	बृहस्पतिवार, 11 नवंबर 2021 को सुबह 11.00 बजे (आईएसटी) Thursday, 11 th November, 2021 at 11:00 a.m. (IST)
ई-वोटिंग एजेंसी और तकनीकी प्लेटफार्म प्रदाता E-Voting Agency and Technical Platform Provider	सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड Central Depository Services (India) Ltd., ई-मेल आईडी /e-mail ID - helpdesk.evoting@cdslindia.com संपर्क नं. / <u>Contact No.</u> - 022- 23058738 / 8542-43
विनिर्दिष्ट तिथि (निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने अर्थात नामांकन, प्रतिभागिता और मतदान के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारण हेतु) Specified Date (To determine the eligibility of the Shareholders to participate in election process i.e. to nominate, contest and vote)	शुक्रवार, 08 अक्टूबर 2021 Friday, 08 th October 2021
नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि Last date for receipt of Nominations	बुधवार, 27 अक्टूबर 2021 Wednesday, 27 th October 2021
नामांकन की संवीक्षा Scrutiny of Nominations	बृहस्पतिवार, 28 अक्टूबर 2021 Thursday, 28 th October 2021
नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि Last date for withdrawal of Nominations	शुक्रवार, 05 नवंबर 2021 Friday, 05 th November 2021
रिमोट ई-वोटिंग Remote E-Voting	सोमवार, 08 नवंबर 2021 को सुबह 10.00 बजे से बुधवार, 10 नवंबर 2021 को शाम 5.00 बजे तक From 10.00 a.m. on Monday, 08 th November 2021 to 05.00 p.m. on Wednesday, 10 th November, 2021



**कॉर्पोरेट कार्यालय, 254-260, अखै षण्ढुगढ सलै,
रलडडैडुडल, ऐनै - 600 014**

नलतलस

एतदुदुडरल सुूऐत कलडुडल ऐल ऐ कल इंडुडलन डैक ऐ शैडरधरकल कल असलधरलण अलड डैठक डुहसुडतलवलर, 11 नवडुडर, 2021 कल डुूरुवलहन 11.00 डऐ ऐ (आईएसटी) वीडुडुडु कलॉनुडुडुसलंग (वीसी)/अनुड अडुडुडुडुडु वलऐुअल सलधन (ओएवीएम) ऐ डलधुडड से अलडुडुऐत कल ऐलऐगुडु, ऐलसकल उदुदुदेशुड नलनुडलंकलत कलरुडडर कल सनुडललन कलरनल ऐः

कलरुडसुूऐु डद संखुडल 1 :

डैकलंग वलनलडड अधलनलडड, 1949 (इसकै डलद 'डी अर अधलनलडड' ऐ रूड डें संदडुडत) एवु रलषुडुडकृत डैक (डुरडुध और डुरकलरुण उडडुध) सुूकलड, 1970 (इसकै डलद 'सुूकलड' ऐ रूड डें संदडुडत) ऐ सलथ डठलत डैककलरुड कडुनुडु (उडडकुरडुल कल अऐरुन और अंतुरण) अधलनलडड, 1970 (इसकै डलद 'अधलनलडड' ऐ रूड डें संदडुडत) कल धरल 9 (3) (i) तथल इंडुडलन डैक (शैडर और डैठक) वलनलडड, 1999, डथल संशुडधलत, (इसकै डलद 'वलनलडड' ऐ रूड डें संदडुडत) अधलनलडड कल धरल 19 ऐ अनुसुरण डें अधलसुूऐनल सं एडु. सं 16/83/2013-डीओ.आई डलनलंक 3 सलतडुडडर 2013, एडु सं 16/51/2012-डीओ.आई डलनलंक 28 अडुरैल 2015 और डलरत सरकलर ऐ डलनलंक 20 ऐुललरुडु 2016 ऐ अनुसुरल, 25 डलरुऐ, 2015, 08 ऐुललरुडु, 2016 कल सलरुवऐनलक ऐुऐर ऐ डैकल ऐ ऐर-सरकलरुड नलदुदेशक ऐ रूड डें वलऐलर ऐ ललए डलरत सरकलर दुडरल नलधरलरलत डलनदंड और उसकै डलद कलरुडु और संशुडधन, (इसकै डलद 'डलरत सरकलर ऐ दलशलनलदुदेश' ऐ रूड डें संदडुडत) ऐ सलथ डठलत डलरतुडुड रलऐरुव डैक ऐ डरलडडुर संखुडल डीडीअर एडुडुडुडी डीसी सं 39/29.39.001/2016-17 डलनलंक 24 नवडुडडर 2016 इसकै डलद और संशुडधन, डदल कलरुडु हुु (इसकै डलद 'अरडीआई नलदुदेश' ऐ रूड डें संदडुडत) ऐ सलथ डठलत डलरतुडुड रलऐरुव डैक (सरकलरुड ऐुऐर ऐ डैकल ऐ डुुर्ड डें नलरुवलऐलत नलदुदेशकल ऐ ललए 'उऐलत एवु उडडुडुत' डलनदंड) नलदुदेश, 2019 ऐु डलनलंक 02, अगसुत 2019 कल अरडीआई/डीडीअर/2019-20/71 डलसुतर नलदुदेश डीडीअर एडुडुडुडी सं: 9/29.67.001/2019-20 ऐ ऐरलरुडु, डैक ऐ शैडरधरकल (केंदुर सरकलर ऐ अतलरलतुत) डें से एक नलदुदेशक कल ऐुननल तथल संशुडधन ऐ सलथ डल उसकै डलनल नलनुनललखलत संकलुड कल डलरलत कलरनल :-

"संकलुड डलरलत कलडुडल ऐल ऐ डैककलरुड कडुनुडु (उडडकुरडुल कल अऐरुन और अंतुरण) अधलनलडड, 1970 डैकलंग वलनलडड अधलनलडड, 1949, डुरलसंगलक सुूकलड, संडुधलत वलनलडड, अरडीआई ऐ नलरुदुशुु और सरकलरुड दलशलनलरुदुशुु ऐ तहुत कलए गए वलनलडडुल ऐ अनुसुरल केंदुर सरकलरुड ऐ अतलरलतुत डैक ऐ शैडरधरकल डें से नलरुवलऐलत एक नलदुदेशक कल डैक ऐ नलदुदेशक ऐ रूड डें उनकै दुडरल कलरुडडलर डुरहुण कलरनै कल तलथल से तलन वरुष कल अवधल ऐ ललए नलडुडुत कलडुडल ऐल ऐ।

नलदुदेशक डंडल ऐ अलदुेश से

ह.अ.

(एस. एल. ऐन)

डुरडुध नलदुदेशक एवु डुरुख कलरुडडललक अधलकलरुड

सुथलन : ऐनै

दलनलंक : 05 अकुतुडुडर, 2021

टिप्पणियाँ

1. स्पष्टीकरण विवरण:

इस बैठक के कारोबार से संबंधित भौतिक तथ्यों को देनेवाला स्पष्टीकरण विवरण साथ में संलग्न है एवं सूचना का अंग है।

2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) के माध्यम से ईजीएम का संचालन ("ई-ईजीएम") :

ए) कोविड-19 महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र क्र 14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020 एवं 10/2021 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल 2020, 15 जून, 2020, 28 सितंबर, 2020, 31 दिसंबर, 2020 और 23 जून 2021 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी परिपत्र) द्वारा जारी परिपत्र क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/ 2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के प्रावधानों के अनुसार, बैंक की ईजीएम का संचालन वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर सदस्यों/ शेयरधारकों की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। ईजीएम के लिए विचारणीय स्थान कॉर्पोरेट कार्यालय, 254-260, अद्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै - 600 014 होगा। चूंकि कार्यसूची मद को टाला नहीं जा सकता है, अतः इसका संचालन वीसी/ओएवीएम के जरिए आयोजित बैंक की ईजीएम में किया जा रहा है।

बी) बैंक एमसीए परिपत्र में वर्णित सभी प्रावधानों का अनुपालन एवं पालन कर रहा है। बैंक ने वीसी/ओएवीएम कनेक्शन में तकनीकी खराबी से बचने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। बैंक ने बैठक की समग्रता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समुचित सुरक्षा सुनिश्चित की है।

सी) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में सहभागिता एवं ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग कराएगा।

डी) एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्र के अनुसार, ईजीएम की सूचना बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in तथा स्टॉक एक्सचेंजों यानि बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर उपलब्ध कराई जाएगी।

ई) चूंकि ईजीएम वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित की जाएगी, इस कारण सचिवीय मानक 2 के अंतर्गत अपेक्षित रूट मैप इस सूचना के साथ संलग्न नहीं है।

एफ) भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारक ईजीएम सूचना की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करने के लिए अस्थायी रूप से अपना ई-मेल आईडी <https://investors.cameoindia.com> लिंक पर क्लिक करके पंजीकृत करवा सकते हैं।

3. मतदान अधिकार :

चूंकि ईजीएम का कार्यसूची मद शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन है, अतः शेयरधारकों/ लाभार्थ स्वामियों के मतदान अधिकार की गणना **शुक्रवार, 08 अक्टूबर, 2021** (इस उद्देश्य के लिए निर्धारित की गई विनिर्दिष्ट तिथि) को उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुसार की जाएगी।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त तत्संबंधित बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा धारित शेयरों के संबंध में, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक, मत का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त, इंडियन बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 1999, यथा संशोधित, के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत है तो इस स्थिति में रजिस्टर में पहले पंजीकृत व्यक्ति को मतदान करने का अधिकारी माना जाएगा।

4. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

मौजूदा एमसीए और सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार चूंकि सदस्यों/शेयरधारकों को सशरीर उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, अतः प्राक्सियों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, ईजीएम में सदस्यों द्वारा प्राक्सियों की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्राक्सी की नियुक्ति के लिए लिखत इस ईजीएम सूचना के साथ संलग्न नहीं है।

5. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति, किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक बैठक में शामिल नहीं हो सकेगा अथवा मतदान नहीं कर सकेगा जब तक कि विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसकी नियुक्ति करनेवाले संकल्प की प्रति जिसे उस बैठक, जिसमें उसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित किया गया है, बैंक के कंपनी सचिव, इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, निवेशक सेवा कक्ष, विंग 2-सी, द्वितीय तल, 254-260, अब्दुल गण्मुगम सालै, रायपेड़ा, चेन्नै - 600 014 को या उक्त संकल्प की प्रमाणित प्रति की स्कैन ई-मेल के माध्यम से scrutinizer@snaco.net एवं इसकी प्रति investors@indianbank.co.in को बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् 6 नवंबर, 2021 को कार्य-समय की समाप्ति तक या उससे पूर्व प्राप्त न हो जाए।

6. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र :

चूंकि बैठक वीसी/ओवीएम के माध्यम से संचालित की जा रही है, अतः ईजीएम में शामिल होने के लिए उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं है।

सभा करने पर प्रतिबंध में पूर्ण रूप से राहत मिलने और ऑडिटोरियम में बैठक का आयोजन किए जाने की स्थिति में शेयरधारकों के हित में उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र को बैठक के स्थान पर उपलब्ध करवाया जाएगा।

7. रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट के साथ पत्राचार :

भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में किसी प्रकार के परिवर्तन होने, ट्रांसमिशन, डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, ईसीएस में डेट आदि हेतु अनुरोध करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट (आरटीए) को निम्न पते पर संपर्क करें :-

कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड

(यूनिट : इंडियन बैंक)

सुब्रमण्यम बिल्डिंग

नं -1, क्लब हाउस रोड,

चेन्नै -600 002

टेलीफोन - 044-28460390/91/92/93/94 (5 लाइनें)

ईमेल : investor@cameoindia.com या cameo@cameoindia.com

शेयरधारकों को त्वरित और प्रभावी सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से इंडियन बैंक ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै में निवेशक सेवा कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक और निवेशक किसी भी प्रकार की सहायता हेतु निम्नलिखित पते पर इस कक्ष से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं :

<p>महाप्रबंधक – सीएफओ इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, 254-260, अद्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै – 600 014 दूरभाष : 044-28134574 ई-मेल : cfo@indianbank.co.in</p>	<p>सहायक महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव निवेशक सेवा कक्ष 254-260, अद्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै – 600 014 दूरभाष : 044-28134698 ई-मेल : ibinvestorrelations@indianbank.co.in</p>
---	--

8. अदत्त/अदावाकृत लाभांश, यदि कोई है :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 बी के अनुसार, वह राशि जो अदत्त/अदावी लाभांश खाता में अंतरित किया गया हो और ऐसे अंतरण की तिथि से वह सात वर्षों के लिए अदत्त/अदावी हो तो उसे कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205सी/125 के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित "इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड" में अंतरित किया जाएगा।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या एफ.सं.7/93/2013-बीओए दिनांक 21.05.2014 के माध्यम से दिए गए निर्देश/दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 तक के बैंक की अदत्त और अदावी लाभांश राशि को केंद्र सरकार के "इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड" में अंतरित कर दिया गया है।

जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2014-15 और उसके बाद बैंक द्वारा घोषित लाभांश का लाभांश वारंट भुगतान नहीं कराया है, वे एनईएफटी/ सीधे अंतरण के माध्यम से अपने अदत्त लाभांश वारंट की रकम के विप्रेषण के लिए रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट, कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड, सुब्रमण्यम बिल्डिंग, नं-1, क्लब हाउस रोड, चेन्नै 600 002 के पास अपना वैध दावा दर्ज करें।

अदत्त/अदावी लाभांश वारंटों का विवरण बैंक की साइट www.indianbank.in पर उपलब्ध है।

9. पता/बैंक ब्यौरा/बैंक खाता मैडेट में परिवर्तन

ए) लाभांश का भुगतान, यदि कोई घोषित किया गया हो, करने हेतु एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत बैंक खाते के ब्यौरे संबंधित डिपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किया जाता है।

तदनुसार, शेयरधारक जिन्होंने अपना शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते के विवरणों को संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ("डीपी") के साथ अद्यतन कराए। इंडियन बैंक अथवा इसके आरटीए इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे शेयरों/डीमैट खाते के धारकों के बैंक विवरणों अथवा बैंक मैडेट या पंजीकृत पते में किसी परिवर्तन हेतु सीधे प्राप्त किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तनों, यदि कोई हो, के लिए शेयरधारक अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जहां उनका डीमैट खाता है, को संपर्क करें।

बी) शेयरधारक जिन्होंने अपना शेयर भौतिक रूप में रखा है, उनसे अनुरोध है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए), कैमियो कॉर्पोरेट सेवाएँ लिमिटेड को उनके उल्लिखित पते पर औपचारिक अनुरोध भेजें :

(i) पते में परिवर्तन के लिए— वैध दस्तावेजी प्रमाण के साथ प्रथम/एकल शेयरधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध/आवेदन।

(ii) बैंक विवरण में परिवर्तन/अद्यतन करने के लिए— प्रथम/एकल शेयरधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध/आवेदन के साथ रद्द किए गए चेक जिस पर खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड और नाम मुद्रित हो।

सी) बैंक अथवा बैंक के आरटीआए के साथ किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय भौतिक रूप (शेयर प्रमाणपत्र) में शेयर रखने के मामले में शेयरधारक संबंधित फोलियो क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक (डीमैट खाते) रूप में शेयर रखने के मामले में डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें।

10. हरित पहल :

बैंक द्वारा किए जा रहे 'हरित पहल' का समर्थन करने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में (डीमैट खाते) में हैं, तो वे अपने डीपी के माध्यम से अपना ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन करें। भौतिक रूप (शेयर प्रमाणपत्र) में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों का ई-मेल पता बैंक के आरटीए, कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड को उनके उपरोक्त पते पर एक लिखित हस्ताक्षरित अनुरोध भेजकर पंजीकृत/दर्ज किया जा सकता है।

11. रिमोट ई-मतदान के माध्यम से मतदान अधिकार का प्रयोग

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार, बैठक में उपस्थित रहने व मतदान के पात्र शेयरधारक रिमोट ई-मतदान के जरिये अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है।

चूंकि ईजीएम का कार्यसूची मद शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन है, अतः शेयरधारकों/ लाभार्थ स्वामियों के वोटिंग अधिकारों की गणना उनके द्वारा शुक्रवार, 08 अक्टूबर, 2021 (इस उद्देश्य के लिए निर्धारित विनिर्दिष्ट तिथि) को धारित इक्विटी शेयरों के अनुसार की जाएगी।

12. सूचना का प्रेषण :

सेबी और एमसीए दिशानिर्देशों के अनुरूप, ईजीएम सूचना की प्रतियां भौतिक रूप में नहीं भेजी जाएंगी और इसे इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन शेयरधारकों को भेजा जाएगा जिनके ई-मेल पते बैंक के शेयरधारकों के रिकॉर्ड में पंजीकृत हैं।

ईजीएम सूचना बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

13. भौतिक शेयर धारण का अमूर्तिकरण

सेबी के मौजूदा मानदंडों के अनुपालन में, बैंक भौतिक रूप में रखे शेयरों के हस्तांतरण की प्रक्रिया नहीं करेगा। तदनुसार, भौतिक रूप में शेयर (शेयर प्रमाणपत्र) रखनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों से बचने के लिए अपने शेयरों का अमूर्तिकरण करवा लें। शेयरों के अमूर्तिकरण से तरलता में भी वृद्धि होती है तथा शेयरधारक अपने डीमैट खाते से जुड़े डीमैट ट्रेडिंग खाते के माध्यम से अपनी सुविधा के अनुसार शेयरों को बेच सकेंगे।

भौतिक शेयरों (शेयर प्रमाणपत्र) के अमूर्तिकरण के लिए निर्देशात्मक प्रक्रिया निम्नानुसार है:

(ए) शेयरों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) में अमूर्त (डीमैट) रूप में रखा जा सकता है। एनएसडीएल और सीडीएसएल डिपॉजिटरी हैं जहां निवेशक/शेयरधारक के शेयर/प्रतिभूतियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के माध्यम से रखी जाती हैं।

(बी) शेयरों के अमूर्तिकरण के लिए, शेयरधारक को स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी या डीमैट सेवाएं प्रदान करनेवाले बैंक में एक डीमैट खाता खोलना होगा। हमारा बैंक अपनी अनुषंगी इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड (आईबीएमबीएस) के माध्यम से डीमैट सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए कृपया आईबीएमबीएस की वेबसाइट www.indbankonline.com पर लॉग ऑन करें।

(सी) डीमैट खाता खोलने के बाद, शेयरधारक को अपने डीपी, जिसके साथ उन्होंने अपना डीमैट खोला है, को भरे हुए और हस्ताक्षरित डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म (डीआरएफ) के साथ मूल शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) को जमा करना होगा।

(डी) संबंधित डीपी अमूर्तिकरण अनुरोध को संसाधित करेगा और दस्तावेजों के सत्यापन पूरा होने के बाद, संबंधित शेयर प्रमाणपत्र के अनुसार शेयरों की संख्या संबंधित शेयरधारक के डीमैट खाते में जमा हो जाएगा।

14. रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग के लिए संवीक्षक

रिमोट ई-मतदान प्रक्रिया एवं ईजीएम के दौरान ई-मतदान प्रक्रिया को न्यायोचित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने हेतु बैंक ने मेसर्स एस एन अनन्तसुब्रमणियन एंड कं. सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

15. ई-मतदान से संबंधित प्रक्रिया एवं प्रणाली :

इलेक्ट्रानिक रूप से वोटिंग करने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नवत् हैं:-

इलेक्ट्रानिक वोटिंग श्रृंखला संख्या (ईवीएसएन)-	
कार्यसूची मद संख्या 01 : केंद्र सरकार के अतिरिक्त बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक का निर्वाचन	211008010

(ए) चूंकि ईजीएम का कार्यसूची मद शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन है, अतः शेयरधारकों/लाभार्थियों के मतदान अधिकार की गणना **शुक्रवार, 08 अक्टूबर, 2021** (इस उद्देश्य के लिए निर्धारित की गई विनिर्दिष्ट तिथि) को उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुसार की जाएगी।

(बी) रिमोट ई-मतदान की अवधि **सोमवार, 08 नवंबर, 2021 को सुबह 10.00 बजे (आईएमटी) शुरू होगी और बुधवार, 10 नवंबर, 2021 को शाम 5.00 बजे (आईएमटी) समाप्त होगी।** इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक जिनके पास विनिर्दिष्ट तिथि अर्थात् 08 अक्टूबर, 2021 को भौतिक रूप में या डीमैटरियालाइज्ड रूप में शेयर हैं, अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप में कर सकते हैं। इसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

(सी) ईजीएम के दौरान भी ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि, रिमोट ई-वोटिंग के जरिए पहले ही मतदान कर चुके शेयरधारक ईजीएम के दौरान मतदान के पात्र नहीं होंगे।

(डी) सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 09.12.2020 के माध्यम से निम्नानुसार सूचित किया है:

(i) सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के तहत, सूचीबद्ध संस्थाओं को सभी शेयरधारकों के प्रस्तावों के संबंध में अपने शेयरधारकों को रिमोट

ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। तथापि, यह देखा गया है कि सार्वजनिक गैर-संस्थागत शेयरधारकों/खुदरा शेयरधारकों की भागीदारी नगण्य स्तर पर है।

- (ii) वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करनेवाले कई ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं। इसके लिए शेयरधारकों द्वारा विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण और कई यूजर आईडी और पासवर्ड के रखरखाव की आवश्यकता होती है।
- (iii) सार्वजनिक परामर्श के अनुसरण में मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, सभी डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खातों/डिपॉजिटरी की वेबसाइटों/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से एकल लॉगइन क्रेडेंशियल के माध्यम से ई-वोटिंग सक्रिय करने का निर्णय लिया गया है। डीमैट खाताधारक ईएसपी में फिर से पंजीकरण किए बिना अपना वोट डालने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेना आसान और सुविधायुक्त होगी।

(ई) उपरोक्त सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 09.12.2020 के अनुसरण में, **डीमैट रूप में शेयर/प्रतिभूतियों को रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारकों** के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगइन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारक का प्रकार	लॉगइन विधि
सीडीएसएल में डीमैट रूप में शेयर/प्रतिभूति रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारक	<p>1) जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल ईजी/इजियेस्ट सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन कर सकते हैं। बिना किसी प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए ईजी/इजियेस्ट में लॉगइन करने के लिए यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login हैं या वे www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगइन आइकन पर क्लिक करें और न्यू सिस्टम माईसी चुनें।</p> <p>2) सफल लॉगइन के बाद ईजी/इजियेस्ट उपयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे जहां ई-वोटिंग चल रही है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल बैठक और वोटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेगा। इसके अतिरिक्त सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं अर्थात् सीडीएसएल/एनएसडीएल/कार्वी/लिनकइनटाइम के सिस्टम को एक्सेस करने के लिए लिंक भी प्रदान किया गया है ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सके।</p> <p>3) यदि उपयोगकर्ता ईजी/इजियेस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण के लिए https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर विकल्प उपलब्ध है।</p> <p>4) वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com के होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक में डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद उपयोगकर्ता जहां वोटिंग चल रही है उसके लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम को सीधे एक्सेस भी कर सकेगा।</p>

<p>एनएसडीएल में डीमैट रूप में शेयर/प्रतिभूति रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारक</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं तो कृपया एनएसडीएल की ई-सेवाएं वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें। ई-सेवाओं का होम पेज खुलने के बाद 'आइडीएएस' सेक्शन में उपलब्ध "लॉगइन" के तहत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें जो आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर ले जाएगा। 2) यदि उपयोगकर्ता आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। आईडीईएस पोर्टल के लिए "रजिस्टर ऑनलाइन" चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3) एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज खुलने के बाद 'शेयरहोल्डर/मैम्बर' सेक्शन में उपलब्ध "लॉगइन" आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल में रखे आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर ले जाया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें जो आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर ले जाएगा।
<p>डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगइन करनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट रूप में शेयर/प्रतिभूतियों को रखनेवाले)</p>	<p>आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगइन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगइन कर सकते हैं। सफल लॉगइन के बाद आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर ले जाया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग फीचर देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें जो आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर ले जाएगा।</p>

महत्वपूर्ण सूचना: जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड भूल गए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी अर्थात सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगइन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क :

लॉगइन का प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल में डीमैट रूप में प्रतिभूति रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगइन में तकनीकी समस्या होने पर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क करने के लिए सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेज सकते हैं या 022- 23058738 और 22-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल में डीमैट रूप में प्रतिभूति रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगइन में तकनीकी समस्या होने पर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क करने के लिए सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।

(एफ) ई-वोटिंग और डीमैट रूप में व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगइन विधि:

- शेयरधारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com में लागऑन करें।
- "शेयरहोल्डर" मॉड्यूल पर क्लिक करें।
- अब अपने यूजर आईडी को प्रविष्ट करें।
 1. सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों की लाभार्थी आईडी,
 2. एनएसडीएल के लिए : 8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लाइंट आईडी,
 3. भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों को बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर दर्ज करना चाहिए।
- छवि सत्यापन को प्रदर्शित किए अनुसार दर्ज करें और लॉगइन पर क्लिक करें।
- यदि आप डीमैट रूप में शेयर रख रहे हैं और www.evotingindia.com पर लॉगइन किया है और किसी अन्य कंपनी के मतदान में शामिल हुए हैं, तो आप मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
- यदि आप पहली बार उपयोगकर्ता हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें –

	डीमैट रूप और भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अल्फा-न्यूमरिक 10 अंकोंवाला अपना पैन दर्ज करें (डीमैट शेयरधारक और भौतिक शेयरधारक दोनों के लिए लागू) <i>जिन शेयरधारकों ने बैंक/डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट में अपने पैन को अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक/आरटीए द्वारा दिए गए अनुक्रम संख्या का उपयोग करें या बैंक/आरटीए से संपर्क करें।</i>
लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि	लॉगइन करने के लिए अपने डीमैट खाते में या बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि (dd/mm/yyyy प्रारूप में) दर्ज करें। <i>यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या बैंक में दर्ज नहीं हैं, तो निर्देश (v) में उल्लिखित लाभांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी/फोलियो संख्या दर्ज करें।</i>

- इन विवरणों को उचित रूप से दर्ज करने के बाद, "सबमिट" टैब पर क्लिक करें।
- भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारक इसके बाद सीधे कंपनी चयन स्क्रीन में पहुँच जाएँगे। तथापि डीमैट रूप में शेयर धारित करनेवाले सदस्य, अब "पासवर्ड सृजन" के मेनु में पहुँचेंगे जहाँ उनसे अनिवार्यतः अपेक्षा की जाती है कि वे नये पासवर्ड फील्ड में अपने लागइन पासवर्ड को प्रविष्ट

करें। कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का प्रयोग डीमैट धारकों द्वारा अन्य किसी भी कंपनी के संकल्पों के लिए वोट करने हेतु भी किया जाएगा, जहाँ वे वोट देने के लिए पात्र हैं बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लैटफॉर्म के जरिए ई-मतदान का विकल्प उपलब्ध कराती है। हमारी सलाह है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यन्त सावधानी बरतें।

- भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले सदस्यों के लिए, इस नोटिस में निहित प्रस्तावों पर केवल ई-मतदान के लिए विवरण का उपयोग किया जा सकता है।
- संबंधित < कंपनी का नाम > ईवीएसएन पर क्लिक करें, जिस पर आप मतदान देना चाहते हैं।
- वोटिंग पेज पर आप "संकल्प का वर्णन" पाएँगे और उसके सामने मतदान हेतु "हाँ/नहीं" का विकल्प होगा। अपनी इच्छानुसार "हाँ" या "नहीं" का चयन करें। "हाँ" विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत हैं और "नहीं" विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।
- आप संपूर्ण संकल्पों को देखना चाहते हैं तो "संकल्प फाइल लिंक" पर क्लिक करें।
- आपने जिस संकल्प पर मतदान देने का निर्णय लिया है, उसको चुनने के बाद "सबमिट" पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो "ओके" पर क्लिक करें या अपना वोट बदलना चाहते हैं तो "कैन्सल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को आशोधित करें।
- आप जब एक बार संकल्प पर अपना वोट "पुष्टिकृत" (CONFIRM) कर देते, तो आपको उसे बदलने नहीं दिया जाएगा।
- वोटिंग पेज पर "क्लिक हियर टू प्रिंट" विकल्प पर क्लिक करके आप अपने द्वारा किए वोट को प्रिंट भी कर सकेंगे।
- यदि डीमैट खाताधारक, अपने बदले गए पासवर्ड को भूल जाता है तो उपयोगकर्ता आईडी और छवि सत्यापन कोड को दर्ज करें और "पासवर्ड भूल गए" पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा बताए गए विवरण दर्ज करें।

गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक और कस्टोडियन के लिए सुविधा- रिमोट ई-वोटिंग

- गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों (अर्थात् वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई आदि से अन्य) और कस्टोडियन को www.evotingindia.com पर लॉगइन करना होगा और खुद को 'कोर्पोरेट्स' मॉड्यूल में पंजीकृत करना होगा।
- संस्था की मोहर और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करना होगा।
- लॉगइन विवरण प्राप्त करने के बाद एडमिन लॉगइन और पासवर्ड का उपयोग करके एक अनुपालन उपयोगकर्ता बनाना होगा। अनुपालन उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक करने में सक्षम होगा जिसके लिए वे मतदान करना चाहते हैं।
- लॉगइन में लिंक किए गए खातों की सूची को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल किया जाना चाहिए और उन खातों का अनुमोदन होने के पश्चात वे अपना मतदान कर सकेंगे।
- बोर्ड के संकल्प और पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) की एक स्कैन प्रति जो उन्होंने कस्टोडियन के पक्ष में जारी की है, यदि कोई है, तो इसे सत्यापित करने के लिए स्क्रीटिनाइजर के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।
- वैकल्पिक रूप से गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा संबंधित बोर्ड के संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि को विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, जो वोट करने के लिए अधिकृत हैं, के सत्यापित हस्ताक्षर के साथ संवीक्षक और बैंक को ईमेल पते यथा investors@indianbank.co.in पर भेजा जाना अपेक्षित है, यदि उन्होंने अलग-अलग टैब से मतदान किया है और जांच के लिए सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम में उसे अपलोड नहीं किया है।

16. ईजीएम में/के दौरान मतदान

कार्यसूची मद पर चर्चा के बाद बैंक इन कार्यसूची मद के संदर्भ में मतदान शुरू करेगा। यह मतदान इस उद्देश्य हेतु नियुक्त किए गए संवीक्षक के द्वारा संचालित व परीक्षित किया जाएगा। वीसी/ओएवीएम या भौतिक रूप से आयोजित होने वाले बैठक में शामिल होने वाले शेयरधारक/अधिकृत प्रतिनिधि मतदान प्रक्रिया के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तथापि वे शेयरधारक जो रिमोट ई-मतदान के जरिये अपना मत दे चुके हैं वे बैठक के दौरान होनेवाली ईमतदान प्रक्रिया में दुबारा मतदान के पात्र नहीं होंगे।

17. बैठक में शामिल होने एवं ईजीएम के दौरान ई-मतदान से संबंधित शेयरधारकों के लिए निर्देश :

- (ए) ईजीएम के दिन बैठक और ई-वोटिंग में भाग लेने की प्रक्रिया वही है जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित है।
- (बी) नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार, शेयरधारक बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में जुड़ सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में प्रतिभागिता की सुविधा सबसे पहले जुड़ने वाले 1000 शेयरधारकों के लिए उपलब्ध रहेगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयरधारिता रखनेवाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति एवं हितधारक संबंध समित, लेखापरीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे तथा ये पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के ईजीएम में भाग सकेंगे।
- (सी) बैठक में भाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक उपलब्ध होगा जहां रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सफल लॉगइन के बाद कंपनी का ईवीएसएन प्रदर्शित किया जाएगा।
- (डी) रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करनेवाले शेयरधारक ईजीएम बैठक में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे ईजीएम बैठक में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
- (ई) शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि बेहतर अनुभव के लिए वे लैपटाप/आई पैड का इस्तेमाल करें।
- (एफ) इसके अतिरिक्त बाधारहित बैठक के लिए शेयरधारकों को अच्छी तीव्रता वाले इन्टरनेट का प्रयोग एवं कैमरा ऑन किए जाने की आवश्यकता है।
- (जी) मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से मोबाइल उपकरणों या टैबलेट या लैपटाप का उपयोग करनेवाले कृपया नोट करें कि संबन्धित नेटवर्क में अस्थिरता के कारण ऑडियो/वीडियो की अदृश्यता हो सकती है। अतः उपरोक्त अवरोधों से बचने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन के प्रयोग की सलाह दी जाती है।
- (एच) यदि कोई शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार प्रकट करना/प्रश्न पूछना चाहता है तो वह **08 नवंबर, 2021 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) तक या उससे पहले investors@indianbank.co.in** पर अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर बताते हुए स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत करने हेतु अग्रिम निवेदन भेजे। वे शेयरधारक जिनके पास प्रश्न हैं किन्तु वे उन्हें ईजीएम के दौरान नहीं पूछना चाहते हैं, वह **08 नवंबर, 2021 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) तक या उससे पहले investors@indianbank.co.in** पर अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर बताते हुए अपने प्रश्नों को हमें भेजे। बैंक द्वारा उनके प्रश्नों के उत्तर उपयुक्त रूप से ई-मेल द्वारा दिये जाएंगे।
- (आई) जिन शेयरधारकों ने स्वयं को स्पीकर के रूप पंजीकृत किया है केवल वे ही ईजीएम के दौरान अपने विचार प्रकट कर सकते हैं/प्रश्न पूछ सकते हैं।

(जे) केवल वे शेयरधारक, जोकि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित हैं और रिमोट ई-मतदान के माध्यम से कार्यसूची मदों/संकल्पों पर मतदान नहीं किया है एवं ऐसा करने से प्रतिबंधित भी नहीं हैं, ईजीएम के दौरान ई-मतदान हेतु पात्र होंगे।

(के) वे शेयरधारक, जिन्होंने ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-मतदान के माध्यम से मतदान किया है किन्तु वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से होनेवाली बैठक में उपस्थित / प्रतिभागिता को मार्क नहीं करते हैं, के मतों को अवैध माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-मतदान की सुविधा केवल बैठक में शामिल होनेवाले शेयरधारकों के लिए है।

(एल) कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेनेवाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना की जाएगी।

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनका ईमेल/मोबाइल नं. बैंक के शेयरधारक रिकॉर्ड/ डिपॉजिटरी में पंजीकृत नहीं हैं।

(ए) वे शेयरधारकों जिनके पास शेयर भौतिक रूप में है— कृपया अपना आवश्यक विवरण यथा फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) **आरटीए को ईमेल आईडी murali@cameoindia.com पर ईमेल द्वारा भेजें।**

(बी) डीमैट शेयरधारकों के लिए – कृपया अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के माध्यम से अद्यतन करें।

(सी) व्यक्तिगत डीमैट शेयरधारकों के लिए – कृपया अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के माध्यम से अद्यतन करें जो डिपॉजिटरी के माध्यम से ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए अनिवार्य है।

यदि आपके पास ईजीएम और ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल कर सकते हैं या 022-23058738 और 022-23058542/43 पर संपर्क कर सकते हैं।

18. रिमोट ई-मतदान एवं ई-मतदान के परिणाम :

रिमोट ई-मतदान के परिणामों को बैठक में ई-मतदान के परिणामों के साथ जोड़ा जाएगा एवं मतदान के सकल परिणाम की घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर की जाएगी तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात एनएसई और बीएसई को भी सूचित किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह.अ.

(एस. एल. जैन)

प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 05 अक्टूबर, 2021

स्पष्टीकरण विवरण

कार्य सूची मद 1

एक शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) की धारा 9(3) (i) के अनुसार यदि बैंक द्वारा जारी सार्वजनिक शेयरधारिता कुल चुकता पूंजी की 16 प्रतिशत से अधिक लेकिन बत्तीस प्रतिशत से अधिक नहीं है तो बैंक के निदेशक मंडल में केंद्र सरकार के अतिरिक्त दो शेयरधारक निदेशक हो सकते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से निर्वाचित किया जाएगा।

1650 करोड़ रुपए के क्यूआईपी के सापेक्ष 25.06.2021 को क्यूआईबी को प्रति 10/- रुपये के अंकित मूल्य के 11,60,74,569 नए इक्विटी शेयरों के आबंटन के परिणामस्वरूप, बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता 11.94% से बढ़कर 20.14% हो गई है।

अब, बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता 20.14% है और इस प्रकार, बैंक के निदेशक मंडल में दो शेयरधारक निदेशक हो सकते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से निर्वाचित किया जाएगा।

चूंकि बैंक में वर्तमान सार्वजनिक शेयरधारिता बैंक की कुल चुकता पूंजी का 20.14% है, इसलिए बैंक दो शेयरधारक निदेशक निर्वाचित करने का पात्र है।

वर्तमान में, बैंक में केवल एक शेयरधारक निदेशक डॉ. भरत कृष्ण शंकर हैं।

इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1999 के विनियम 55(i) के अनुसार, अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत निदेशक, केंद्र सरकार के अतिरिक्त, को इंडियन बैंक की आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा उनके बीच से चुना जाना चाहिए।

एक और शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन करने की दृष्टि से, केंद्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले एक निदेशक के निर्वाचन के लिए बैंक की एक असाधारण आम बैठक बुलाई गई है।

केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त शेयरधारक प्रासंगिक अधिनियम/विनियम अधिनियम/ स्कीम/विनियमों/ आरबीआई निर्देशों/केंद्रीय सरकार के निर्देशों के अनुसार अपना नामांकन भेजने के लिए पात्र हैं। इस संबंध में प्रासंगिक उद्धरण/भाग पुनः प्रस्तुत है।

कानूनी प्रावधान :

निम्नलिखित विवरणी इस संदर्भ में लागू विविध अधिनियमों/विनियम/ स्कीम/अधिसूचना में निहित प्रावधानों को इंगित करती है :

अधिनियम/स्कीम/ विनियम/अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंककारी विनियम अधिनियम,1949	धारा 5 (एनई) धारा 16 (1) धारा 20	सारभूत हित कॉमन निदेशकों का प्रतिषेध किसी भी निदेशक को या उसके पक्ष में ऋण दिये जाने पर प्रतिबंध

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई)	मतदान अधिकार पर प्रतिबंध
	धारा 9(3)(i)	शेयरधारकों द्वारा चुने जानेवाले निदेशकों की संख्या
	धारा 9(3ए) (ए) से (सी)	कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान
	धारा 9(3एए) और धारा 9(3एबी)	कोई भी व्यक्ति, जब तक वह ट्रैक रिकॉर्ड, ईमानदारी एवं आरबीआई द्वारा बताए गए मानदंडों के अनुसार उचित व उपयुक्त न हो, निदेशक हेतु चयन के लिए पात्र नहीं होगा
	धारा 9(3बी)	वह चयनित निदेशक जोकि उक्त अधिनियम के धारा 9(3ए) और धारा 9(3एए) की आवश्यकताएँ पूरी नहीं करता उसे आरबीआई द्वारा हटा दिये जाने का अधिकार है
	धारा 13(2)	विश्वस्तता एवं गोपनीयता की बाध्यता
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970	खंड 9(4)	निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल
	खंड 10	बैंक के निदेशक के हेतु अपात्रता
	खंड 11	निदेशक का कार्यालय को छोड़ा जाना
	खंड 11ए	चयनित निदेशक को कार्यालय से हटाया जाना
	खंड 11 बी	चयनित निदेशक के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति को भरा जाना
	खंड 12(8)	कुछ निदेशकों की अभिरुचि के अनुसार उनके द्वारा हितों का प्रकटीकरण
	खंड 14ए, विशेष प्रावधान	यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि समिति की बैठक के लिए कोरम ऐसी समिति में किसी भी रिक्ति या उसके सदस्य द्वारा अलग होने के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है, तो बोर्ड वह कार्य कर सकता है।
इंडियन बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 1999, यथा संशोधित	विनियम 10	संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग
	विनियम 53	सामान्य बैठकों में मतदान
	विनियम 55	सामान्य बैठकों में चुने जाने वाले निदेशक
	विनियम 56	शेयरधारकों की सूची
	विनियम 57	निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों का नामांकन
	विनियम 58	नामांकनों की जांच
	विनियम 59	निर्वाचन में विवाद

	विनियम 60	मतदान अधिकार
	विनियम 61	विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान
	विनियम 62	परोक्षी
आरबीआई / डीबीआर / 2019-20 / 71 मास्टर निदेश डीबीआर / एपीपीटी संख्या 9 / 29.67.001 / 2019 दिनांकित 02 अगस्त, 2019 द्वारा जारी भारतीय रिजर्व बैंक (सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उचित व उपयुक्त' मानदंड) निदेश, 2019	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3एए) और धारा 9(3एबी) के अनुसार	भारतीय रिजर्व बैंक (सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उचित व उपयुक्त' मानदंड) निदेश, 2019
पत्र संदर्भ एफ संख्या 16 / 83 / 2013-(जीओआई) वित्त मंत्रालय, दिनांकित 3 सितंबर, 2013 और भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देश जोकि आंशिक गैर कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति हेतु कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा 25 मार्च 2015 को स्वीकृत किए गए थे जोकि भारत सरकार की पत्र संख्या एफ संख्या 16 / 51 / 2012-बीओ-I दिनांकित 28 अप्रैल 2015 के जरिये अग्रेषित हैं एवं भारत सरकार की पत्र संख्या एफ संख्या 16 / 51 / 2012-बीओ-I दिनांकित 20 जुलाई 2016, ओएम दिनांक 3 सितंबर 2013 के साथ पठित संशोधित दिशानिर्देश दिनांकित 8 जुलाई, 2016, के जरिये अग्रेषित हैं		सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आंशिक गैर- सरकारी निदेशकों की नियुक्ति से संबन्धित भारत सरकार के दिशानिर्देश
आरबीआई मास्टर परिपत्र आरबीआई / 2015-16 / 95 डीबीआर संख्या डीआईआर. बीसी.10 / 13.03.00 / 2015-16 दिनांकित 1 जुलाई, 2015		निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिम दिये जाने से संबन्धित
सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015		स्वतंत्र निदेशक से संबन्धित प्रावधान

शेयरधारकों की सहूलियत के लिए अधिनियम, विनियम अधिनियम, स्कीम, विनियम, आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.संख्या 39 / 29.39.001 / 2016-17 दिनांकित 24 नवंबर, 2016 के साथ पठित बैंवि.नियु. सं.9 / 29.67.001 / 2019-20 मास्टर निदेश दिनांकित 02 अगस्त, 2019 द्वारा जारी भारतीय रिजर्व बैंक (सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उचित और उपयुक्त' मानदंड) निदेश, 2019 एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों के उद्धरण बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in में दिये गए हैं। यह उद्धरण उम्मीदवारों द्वारा आवेदन किए जाने पर उन्हें ई-मेल के द्वारा भेजे जाएंगे। आवेदन पत्र पर सहायक महा प्रबन्धक एवं कंपनी सचिव, इंडियन बैंक, निवेशक सेवा कक्ष, कॉर्पोरेट कार्यालय, 254-260, अक्टूबर षण्मुगम सालै, रायपेड़ा, चेन्नै -600 014 लिखें तथा यह आवेदन हमें नामांकन फॉर्म जमा किए जाने की अंतिम दिनांक यथा बुधवार, 27 अक्टूबर 2021 या उससे पहले प्राप्त हो जाना चाहिए।

चुनाव में प्रतिभागिता

जैसा पहले ही इंगित किया जा चुका है कि केंद्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारक, जिनके नाम विनिर्दिष्ट तारीख यानि शुक्रवार, 08 अक्टूबर, 2021 को भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारक के मामले में शेयरधारक रजिस्टर में शामिल हैं अथवा डीमेट रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारक के मामले में एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध करायी गई लाभार्थी स्वामियों की सूची में शामिल हैं, वे शेयरधारक केंद्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों के बीच में से निदेशक के चुनाव में भाग लेने यानि नामांकन, प्रतिभागिता और मतदान के पात्र होंगे।

बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित किये होने हेतु आवश्यक अर्हता :

अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार एक प्रतिभागी, जोकि बैंक में शेयरधारक है और अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अनुसार बैंक के निदेशक बनने की इच्छा रखता/रखती है, वह

ए. निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक विषय(यों) में विशेषज्ञता या अनुभवी होना चाहिए :

i. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था

ii. बैंकिंग

iii. सहकारिता

iv. अर्थव्यवस्था

v. वित्त

vi. कानून

vii. लघु स्तर उद्यम

viii. अन्य किसी विषय का विशेष ज्ञान और अनुभव जोकि भारतीय रिजर्व बैंक के विचार से बैंक के लिए उपयुक्त होगा।

(आरबीआई ने दिनांक 24 नवंबर, 2016 के अपने परिपत्र संख्या डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.संख्या.39/29.39.001/2016 व 2017 के माध्यम से निम्न क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विशेषज्ञता क्षेत्र में विस्तार किया है – (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) व्यवसाय प्रबंधन ताकि बैंकों में निदेशक की नियुक्ति हेतु इन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों पर विचार किया जा सके।)

बी. जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करनेवाला

सी. किसानों, कामगारों एवं कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करनेवाला

अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार कोई भी व्यक्ति तब तक धारा 9(3)(i) अंतर्गत निदेशक के लिए चयनित होने हेतु योग्य नहीं होगा जब तक कि वह अपने कार्य-निष्पादन रिकॉर्ड, ईमानदारी तथा आरबीआई द्वारा इस संदर्भ में समय समय पर अधिसूचित किए जाने वाले अन्य मानदंडों के आधार पर 'उचित व उपयुक्त' व्यक्ति नहीं कहलाता।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3ए) में प्रदत्त शक्तियों का निष्पादन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अधिसूचना डीबीआर.एपीपीटी.संख्या:9/29.67.001/2019-20 दिनांकित 2 अगस्त 2019 जारी की है जिसमें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3)(i) के प्रावधान के अंतर्गत बैंक के बोर्ड के निदेशकों के तौर पर नियुक्त होने के लिए पूर्ण किए जाने वाले विशेष "उचित व उपयुक्त" मानदंडों का उल्लेख है।

इसके अतिरिक्त, चयनित निदेशकों को प्रसंविदा विलेख कार्यान्वित करना होगा, जोकि बैंक की आचार संहिता के विषयान्तर्गत है एवं इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक/अन्य विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की गई वार्षिक घोषणाओं को भरना होगा।

बैंक के निदेशक पद पर निर्वाचित होने की अपात्रता :

- (ए) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड 10 के अनुसार व्यक्ति निदेशक के पद पर चयन के लिए अपात्र हो जाएगा, जब
- i) यदि उसे किसी भी समय दिवालिया घोषित कर दिया गया है या उसने भुगतान निलंबित कर दिया है या अपने लेनदारों के साथ समझौता कर लिया है या
 - ii) अगर वह दिमागी तौर पर असंतुलित हैं और एक सक्षम अदालत द्वारा ऐसा घोषित किया गया है या
 - iii) यदि उसे अनैतिकता के आधार किसी अपराध के अपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है या
 - iv) यदि वह किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत भारतीय स्टेट बैंक में या भारतीय स्टेट बैंक (सब्सिडियरी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी भी अनुषंगी बैंक के सिवाय अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत खंड (ई) व (एफ) के अनुसार प्रबंध निदेशक और निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशक के अतिरिक्त कोई लाभ का पद धारण करता है
- (बी) यदि वह बैंक के बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक में गैर-सरकारी निदेशक पर विचार करने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा उल्लिखित मानदंडों के साथ पठित आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71 बैंवि.नियु.सं.9/29.67.001/2019-20 मास्टर निदेश दिनांकित 02 अगस्त, 2019 द्वारा जारी भारतीय रिजर्व बैंक (सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उचित और उपयुक्त' मानदंड) मास्टर निदेश, 2019 के अनुसार "उचित व उपयुक्त" नहीं पाया जाता है।

शेयरधारकों की सूची :

इंडियन बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 1999, यथा संशोधित के विनियम 56 के अनुसार शेयरधारकों की सूची की प्रति मंगलवार, 12 अक्टूबर, 2021 से कॉर्पोरेट कार्यालय, निवेशक सेवा कक्ष, 254-260, अक्टू षण्मुगम सालै, रायपेड़ा, चेन्नई - 600 014 में उपलब्ध रहेगी। शेयरधारक इंडियन बैंक के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/अधिसूचित बैंक के भुगतान आदेश, जोकि चेन्नै में देय होगा, द्वारा 50,000/- (पचास हजार रुपए) का भुगतान कर यह सूची खरीद सकते हैं। इस सूची को खरीदने के इच्छुक प्रतिभागियों को सहायक महाप्रबन्धक एवं कंपनी सचिव, इंडियन बैंक, निवेशक सेवा कक्ष, कॉर्पोरेट कार्यालय, 254-260, अक्टू षण्मुगम सालै, रायपेड़ा, चेन्नै - 600 014 को एक आवेदन पत्र भेजना होगा तथा इसके साथ ही एक शपथपत्र, कि इस सूची का प्रयोग केवल चुनाव प्रचार हेतु किया जाएगा एवं इसके अतिरिक्त और किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा, भी जमा करना होगा।

शेयरधारकों के रजिस्ट्रों की जांच

शेयरधारकों के रजिस्टर शेयरधारकों द्वारा जांच किए जाने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय, निवेशक सेवा कक्ष, 254-260, अक्टू षण्मुगम सालै, रायपेड़ा, चेन्नै - 600 014 में सभी कार्यालय दिवसों (रविवार, द्वितीय व चतुर्थ शनिवार तथा बैंक अवकाश को छोड़कर) पर यानि सोमवार से शनिवार अपराहन 03.00 बजे (आईएसटी) से शाम 05.00 बजे (आईएसटी) तक खुले रहेंगे।

यदि कोई शेयरधारक किसी चयनित सूचना या सूचना के किसी भाग की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट चाहता है या किसी भिन्नात्मक भाग की प्रति की आवश्यकता है तो उसे वह प्रति 1000 शब्द पर 5/- रुपए का प्रभार लगा कर, उस राशि के पूर्व भुगतान किए जाने पर उपलब्ध कराई जा सकती है

चुनाव के लिए प्रतिभागियों का नामांकन :

I. नामांकनों की वैधता :

इंडियन बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 1999, यथा संशोधित, के विनियम 57, निदेशक के तौर पर निर्वाचन संबंधी आरबीआई निर्देश व भारत सरकार के दिशानिर्देश एवं इसके अतिरिक्त संशोधन, या समय-समय जारी हुए ऐसे निर्देश के अनुसार निदेशक के तौर पर निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार का नामांकन वैध होगा बशर्ते:

- ए) वह शेयरधारक है और निर्वाचन में प्रतिभागिता करनेवाले शेयरधारकों की पात्रता को तय करने की बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख यानि शुक्रवार, 08 अक्टूबर 2021 को, बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) शेयर धारण करता है तथा बैठक की तारीख तक एवं उसके बाद निर्वाचित होने पर उसके कार्यकाल के अंत तक निरंतर न्यूनतम 100 शेयर के धारक रहेंगे।
- बी) नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख बुधवार, 27 अक्टूबर 2021 को वह अधिनियम/ विनियम अधिनियम/ स्कीम/ विनियम/ आरबीआई दिशानिर्देशों/ भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अंतर्गत निदेशक बनने के लिए अपात्र न हो।
- सी) निदेशक निर्वाचित करने के लिए नामांकन लिखित रूप में किया गया हो और वह कम से कम एक सौ पात्र शेयरधारकों अथवा उनके द्वारा विधिवत गठित अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, बशर्ते, नामांकन यदि किसी ऐसे शेयरधारक द्वारा किया गया हो, जो एक कंपनी है तो उक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा संकल्प पारित किया गया और जिस बैठक में संकल्प पारित किया गया है उसके अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रति के रूप में अधिप्रमाणित किया गया हो, बैंक के कार्पोरेट कार्यालय, को महाप्रबंधक-सीएफओ, कार्पोरेट कार्यालय, 254- 260, अटल भवन, रायपेड़ा, चेन्नै - 600 014 को संबोधित करते हुए जमा किया हो और ऐसी प्रति को उस कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।
- डी) नामांकन के साथ किसी न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट/आश्वसिनों के रजिस्ट्रार/सब-रजिस्ट्रार/अन्य राजपत्रित अधिकारी/भारतीय रिजर्व बैंक/किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित नोटिस में दिए नामांकन और घोषणा के नमूने के अनुसार यह घोषणा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन स्वीकार करता/करती है और निर्वाचन में खड़े होने के लिए इच्छुक है और कि वह अधिनियम/विनियम अधिनियम/ स्कीम/विनियम/भारिबे दिशानिर्देशों/ भारत सरकार के प्रयोज्य दिशानिर्देशों के अंतर्गत निदेशक के लिए अयोग्य नहीं है और वह अपने व्यक्तिगत विवरण (बायो डाटा) में विधिवत हस्ताक्षर कर यह प्रतिज्ञा करते हुए घोषणा करेगा/करेगी कि यह विवरण उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यह वचन देगा/देगी कि वह घोषणा के बाद में होने वाली घटनाओं, जो प्रासंगिक हों, की पूर्ण जानकारी यथाशीघ्र बैंक को देगा/देगी।
- ई) विनियम द्वारा यथानिर्धारित किए नामांकन पत्र और घोषणा पत्र इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार दिए गए हैं। (यह प्रोफार्मा संपूर्ण नोटिस के साथ बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर भी उपलब्ध है।)
- एफ) नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यथास्थिति बुधवार, 27 अक्टूबर 2021 तक को वे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या किसी अधिनियम, किसी स्कीम, विनियम, भारतीय रिजर्व बैंक के

दिशानिर्देश, भारत सरकार के दिशानिर्देश या निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए समय-समय पर जारी ऐसे अन्य निर्देश के अधीन अयोग्य नहीं हों।

II. नामांकन फॉर्मों की प्रस्तुति:

केंद्र सरकार के अतिरिक्त, अन्य शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक के चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को, ए. विधिवत रूप से भरा गया घोषणा-पत्र

बी. चुनाव में भाग लेने हेतु न्यूनतम 100 शेयरधारकों से नामांकन

सी. इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में व्यक्तिगत सूचना, घोषणा-पत्र तथा वचन-पत्र, जिसके साथ संबंधित दस्तावेज, प्रमाणपत्र अर्थात् स्व सत्यापित बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र, अनुभव आदि संलग्न हो, को निम्नलिखित दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में महाप्रबंधक- सीएफओ, कॉर्पोरेट कार्यालय, 254-260, अक्टू षण्मुगम सालै, रायपेड्डा, चेन्नै - 600014 को असाधारण सामान्य बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम 14 कार्य दिवस पूर्व अर्थात् बुधवार, 27 अक्टूबर 2021 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) तक या इससे पूर्व जमा कराए जाएँ।

उपर्युक्त नामांकन फॉर्म व अन्य दस्तावेज सभी तरह से पूर्ण होने चाहिए और ऐसा न होने पर नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है।

III. नामांकनों की जांच तथा निदेशकों का निर्वाचन :

ए) नामांकन प्राप्त होने के लिए निर्धारित तारीख के बाद के प्रथम कार्य दिवस बृहस्पतिवार, 28 अक्टूबर 2021 को बैंक द्वारा नामांकनों की जाँच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उसका कारण दर्ज करके उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

बी) वैध नामांकन आरबीआई के निर्देशों तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के तहत बोर्ड की नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) या स्कीम के खंड 14ए के अनुसार बोर्ड द्वारा जाँच के अध्यक्षीन होंगे। चूंकि आरबीआई निर्देशों/अधिसूचनाओं द्वारा लगाया गया प्रतिबंध तथा भारत सरकार के दिशानिर्देश प्रकृति में एक जैसे हैं, अतः बैंक उम्मीदवारों की उचित व उपयुक्त स्थिति का निर्धारण करते समय दोनों में से सख्त प्रावधानों का प्रयोग कर सकता है।

सी) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 का खंड 14ए, विशेष प्रावधान के अनुसार यदि बोर्ड संतुष्ट है कि नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक के लिए कोरम किसी भी रिक्ति या उसके सदस्य द्वारा अलग होने के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है तो बोर्ड स्वयं उम्मीदवार(रों) की उचित व उपयुक्त स्थिति का निर्धारण करने पर विचार कर सकता है।

डी) बैंक नामांकन के जाँच के समय अथवा बोर्ड की नामांकन समिति बोर्ड की सलाह पर प्रत्याशी से उसकी उम्मीदवारी के समर्थन में आगे की जानकारी, दस्तवेजों की मांग कर सकता है।

ई) यदि चुनाव द्वारा भरी जानेवाली एक रिक्ति हेतु केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त हो एवं नामित प्रत्याशी उचित व उपयुक्त पाया जाए तो उसे उसी समय से निर्वाचित समझा जाएगा और उसके नाम तथा पते को निर्वाचित निदेशक के रूप में प्रकाशित किया जायेगा। ऐसी स्थिति में कोई चुनाव/मतदान नहीं होंगे एवं केवल निर्वाचन के लिए बुलायी गई असाधारण आम बैठक रद्द हो जाएगी। नवनिर्वाचित निदेशक निर्वाचित माने जाने की तिथि के अगले तिथि को पदभार ग्रहण करेंगे।

एफ) यदि वैध नामांकन एक से अधिक हो तो प्रत्याशियों के नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे तथा चुनाव कराया जाएगा और चुनाव में रिमोट ई वोटिंग तथा बैठक में वोटिंग के माध्यम से सर्वाधिक मत प्राप्त करनेवाले प्रत्याशी निर्वाचित माने जाएंगे और उनके नाम घोषित किये जाएंगे तथा समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किये जाएंगे।

IV. अभ्यर्थिता वापस लेना:

यदि कोई अभ्यर्थी अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो वह शुक्रवार, 05 नवंबर 2021 को बैंक के कार्य समय की समाप्ति से पहले किसी समय अपराह्न 05.00 बजे (आईएसटी) या उससे पहले महाप्रबंधक-सीएफओ, कार्पोरेट कार्यालय, 254-260 अट्टी षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै-600 014 के नाम ई-मेल cfo@indianbank.co.in पर भेज कर ऐसा कर सकता है और पत्र को बाद में कूरियर/स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजना अपेक्षित है।

V. ईजीएम में /के दौरान वोटिंग प्रक्रिया

निदेशक के चुनाव के लिए मतदान ई-वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग और ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग) के माध्यम से किया जाएगा।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, 08 नवंबर, 2021 को सुबह 10.00 बजे (आईएसटी) शुरू होगी और बुधवार, 10 नवंबर, 2021 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी।

ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग बैठक के अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में घोषणा किए जाने के तुरंत बाद शुरू होगी।

शेयरधारक अपने वोटिंग अधिकारों का प्रयोग रिमोट ई-वोटिंग या ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से कर सकते हैं। हालांकि, रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करनेवाले शेयरधारकों को ईजीएम के दौरान मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

वोटों की संख्या उनके द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित विनिर्दिष्ट तिथि यानि 08 अक्टूबर 2021 (व्यवसाय समय की समाप्ति) को धारित शेयरों की संख्या के बराबर होगी।

VI. निर्वाचन से संबंधित विवाद :

निर्वाचन विवाद का निपटान, यदि कोई हो, इंडियन बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1999, यथासंशोधित, के विनियम 59 के अनुसार किया जाएगा।

VII. लागू अधिनियम/ विनियमन अधिनियम/ स्कीम/ विनियम/ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों/ भारत सरकार के प्रासंगिक अंशों के उद्धरण:

शेयरधारकों की सुविधा हेतु प्रयोज्य अधिनियम/ विनियम अधिनियम/ स्कीम/ विनियम/ आरबीआई दिशानिर्देशों/ भारत सरकार के दिशानिर्देशों के प्रासंगिक अंशों के उद्धरण संलग्न है।

निदेशकों का हित:

बैंक के निदेशक अपनी शेयरधारिता की सीमा तक और ऐसे निदेशक जो नामांकन दाखिल करते हैं उनकी व्यवसाय की उपर्युक्त मद में संबद्धता अथवा हित समझा जा सकेगा।

निदेशकों का निर्वाचन – प्रासंगिक अधिनियमों, स्कीम और विनियमों आदि का सारांश

शेयरधारक निदेशकों के चुनाव और केन्द्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों द्वारा चुने जानेवाले ऐसे निदेशकों की संख्या से संबंधित प्रावधान बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) में समाविष्ट हैं।

बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970, इंडियन बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 1999 के प्रासंगिक प्रावधान, यथासंशोधित, अधिसूचना संख्या डीबीओडी. बीसी.सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक

23.05.2011 के साथ पठित भारिबैं अधिसूचना संख्या 46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 के तहत जारी 'उपयुक्त एवं समुचित' मानदंड और अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक के चयन हेतु दिनांक 01.06.2011 दिशानिर्देश (भारत सरकार के निदेश) 25.03.2015 तथा 08.07.2016 को संशोधित जिसे भारत सरकार के दिनांक 03.09.2013 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा शेरधारक निदेशकों के लिए भी प्रयोज्य बनाया गया है का प्रासंगिक सारांश नीचे प्रस्तुत है।

बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949

सारभूत हित – धारा 5 (एनई):

- (i) कंपनी के संबंध में, तात्पर्य है किसी व्यक्ति अथवा उसके पति/पत्नी अथवा अवयस्क संतान द्वारा, एकल रूप से या एकसाथ उसके शेयरों के रूप में, प्रदत्त पूंजी राशि जो रुपए पांच लाख से अधिक अथवा कंपनी की प्रदत्त पूंजी के दस प्रतिशत, जो भी कम हो, लाभकारी हित धारण करना।
- (ii) फर्म के संबंध में, तात्पर्य है किसी व्यक्ति अथवा उसके पति/पत्नी अथवा अवयस्क संतान द्वारा, एकल रूप से या एकसाथ जो उक्त फर्म के सभी साझेदारों द्वारा अभिदत्त कुल पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता हो, लाभकारी हित धारण करना।

सामान्य निदेशकों पर प्रतिबंध– धारा 16(1):

भारत में निगमित कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में ऐसे किसी व्यक्ति को शामिल नहीं करेगी जो अन्य बैंकिंग कंपनी में निदेशक हो।

ऋणों और अग्रिमों पर प्रतिबंध– धारा 20 :

- 1) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में समाहित किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई भी बैंकिंग कंपनी निम्नलिखित कार्य नहीं करेगी—
 - क) अपने स्वयं के शेयरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम प्रदान करना
 - ख) निम्न को अथवा उनकी ओर से कोई ऋण या अग्रिम प्रदान करना अथवा प्रतिबद्धता करना
 - (i) अपने किसी निदेशक को
 - (ii) किसी ऐसी फर्म को जिसमें इसके किसी निदेशक का साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटीकर्ता के रूप में हित हो, अथवा
 - (iii) ऐसी कोई कंपनी जो बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी नहीं है अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी अथवा ऐसी सरकारी कंपनी जिसकी अथवा जिसकी अनुषंगी की अथवा होल्डिंग कंपनी जिसमें बैंकिंग कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंध एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटीदाता है अथवा जिसमें उसका सारभूत हित है।
 - (iv) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके संबंध में इसके निदेशकों में से कोई निदेशक उसका साझेदार अथवा गारंटीदाता है।
- 2) जहाँ बैंकिंग कंपनी द्वारा स्वीकृत कोई ऋण या अग्रिम इस प्रकार का है कि इसे स्वीकृत करने के लिए प्रतिबद्धता नहीं की गई हो, यदि उपधारा (1) का खंड (बी) उस तारीख को, जब ऋण अथवा अग्रिम किया गया था, प्रभावी होता, अथवा बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) की धारा 5 प्रारंभ होने के पश्चात बैंकिंग कंपनी द्वारा स्वीकृत किया गया है किंतु ऐसे प्रारंभ से पहले की गई प्रतिबद्धता के अनुसरण में ऋण अथवा अग्रिम की स्वीकृति के समय उसके संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर उस पर देय अथवा जहां ऐसी अवधि निर्धारित नहीं की गई है, उक्त धारा 5 के प्रारंभ होने से एक वर्ष की अवधि समाप्ति होने से पहले, ऋण अथवा अग्रिम के कारण बैंकिंग कंपनी को देय मूल के साथ ब्याज, यदि कोई है, की वसूली के लिए उपाय किए जाएंगे, परंतु यदि बैंकिंग कंपनी द्वारा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को किसी मामले में लिखित आवेदन किया गया हो तो भारतीय रिजर्व बैंक ऋण अथवा अग्रिम की वसूली की अवधि ऐसी तारीख तक बढ़ा सकता है, जो उक्त धारा 5 के आरंभ से 3

वर्ष की अवधि के बाद की तारीख नहीं होगी और ऐसे नियम एवं शर्तों के अधीन होगी, जैसा भारतीय रिजर्व बैंक उचित समझेगा।

परंतु यह भी कि यह उपधारा तब लागू नहीं होगी जब संबंधित निदेशक बैंकिंग कंपनी के निदेशक पद को या तो मृत्यु, सेवानिवृत्ति त्यागपत्र अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त न कर दे।

- 3) उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण अथवा उसका कोई भाग भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रेषित नहीं किया जाएगा और ऐसे अनुमोदन के बिना कोई भी प्रेषण अवैध एवं अप्रभावी माना जाएगा।
- 4) जहां उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण अथवा अग्रिम, किसी व्यक्ति द्वारा देय, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंकिंग कंपनी को चुकता नहीं किया गया है, तब ऐसा व्यक्ति, यदि उक्त अवधि की समाप्ति पर ऐसी बैंकिंग कंपनी का निदेशक है, तो उसे इस कारण उक्त तारीख को अपना कार्यभार रिक्त न किया हुआ समझा जाएगा।

इस धारा का स्पष्टीकरण:

- 'ऋण अथवा अग्रिम' में ऐसा कोई संव्यवहार शामिल नहीं होगा जिसे भारतीय रिजर्व बैंक संव्यवहार की प्रकृति, संव्यवहार के कारण संभावित देय राशि की वसूली, चुनौती के ढंग और परिस्थितियों, जमाकर्ताओं के हित और अन्य संबद्ध खातों को ध्यान में रखते हुए, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकता है कि यह इस धारा के प्रयोजन के लिए ऋण अथवा अग्रिम नहीं है;
- 'निदेशक' का तात्पर्य बैंकिंग कंपनी द्वारा भारत में गठित किसी निदेशक मण्डल अथवा समिति के सदस्य से है जो इसका प्रबंध करने के प्रयोजन के लिए है अथवा इसके सभी या किन्हीं मामलों के प्रबंधन के संबंध में परामर्श देने के लिए है।

- 5) यदि यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई संव्यवहार इस धारा के प्रयोजन से ऋण या अग्रिम है या नहीं, तो उस मामले को भारतीय रिजर्व बैंक को संदर्भित किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 1956 से संबंधित उपर्युक्त प्रावधानों के तहत किए गए किसी भी संदर्भ को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार दिये गए संदर्भों के रूप में माना जाएगा।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970

मताधिकार के संबंध में प्रतिबंध:

धारा 3 (2ई) : तदनुसूची नए बैंक का कोई शेयरधारक, केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त अपने द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के विषय में तदनुसूची नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने के लिए हकदार नहीं होगा।

निदेशक मंडल का गठन:

धारा 9 (3) (i) : जहां पूंजी धारा 3 की उपधारा (2बी) के खंड (सी) के तहत जारी की गयी है :-

- क) कुल चुकता पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो एक निदेशक
- ख) सोलह प्रतिशत से अधिक परंतु कुल चुकता पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अनधिक, दो निदेशक
- ग) कुल चुकता पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक है, तो तीन निदेशक केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों द्वारा अपने में से चुने जाएंगे।

बशर्ते कि इस खंड के तहत किसी ऐसे निदेशक के चुनाव के बाद कार्यभार ग्रहण करने पर, खंड (एच) के तहत नामित उतने ही निदेशक इस प्रकार सेवानिवृत्त होंगे, जैसे कि योजना में विनिर्दिष्ट किया गया है।

यह भी प्रावधान है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ पर या उससे पहले निर्वाचित निदेशकों की संख्या, तदनुसूची नये बैंक में

उप – खंड(i), या उप– खंड (ii) या उप – खंड (iii), जैसे भी मामला हो, में विनिर्दिष्ट निदेशकों की संख्या से बढ़ जाती है तो ऐसे प्रारंभ से पहले निर्वाचित ऐसे अतिरिक्त संख्या के निदेशक, योजना में दर्शाए गए तरीके से सेवानिवृत्त होंगे और ऐसे निदेशक अपने कार्यदायित्वों से समयपूर्व सेवानिवृत्ति के कारण किसी क्षतिपूर्ति के दावे के पात्र नहीं होंगे।

धारा 9 (3 ए) : उक्त खंड(i) के तहत निर्वाचित किए जाने वाले निदेशक :

(ए) निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक विषय(यों) में विशेष ज्ञाता या अनुभवी होना चाहिए :

- i. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- ii. बैंकिंग
- iii. सहकारिता
- iv. अर्थव्यवस्था
- v. वित्त
- vi. कानून
- vii. लघु स्तर उद्यम
- viii. या अन्य किसी विषय का विशेष ज्ञान और अनुभव जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार से बैंक के लिए उपयुक्त होगा।

(आरबीआई ने दिनांक 24 नवंबर, 2016 के अपने परिपत्र संख्या डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.संख्या.39 / 29.39.001 / 2016-2017 के माध्यम से निम्न क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विशेषज्ञता क्षेत्र में विस्तार किया है— (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) व्यवसाय प्रबंधन ताकि बैंकों में निदेशक की नियुक्ति हेतु इन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों पर विचार किया जा सके।

(बी) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करते हों; अथवा

(सी) किसानों, कामगारों एवं शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हों

धारा 9 (3 एए) : उप-धारा 3 (ए) के प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और अधिनियम में निहित अन्य कानून में विरोधाभास होने के बावजूद, उप-धारा(3) के खंड (i) के तहत कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह ट्रैक रिकॉर्ड, अखंडता और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर सूचित इस तरह के अन्य मानदंडों के आधार पर 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति वाला व्यक्ति नहीं है ।

धारा 9 (3एबी) : भारतीय रिज़र्व बैंक भी उप-धारा 3 (एए) के तहत जारी अधिसूचना में प्राधिकरण को 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति का निर्धारण करने, इस तरह के निर्धारण का तरीका, ऐसे निर्धारण का पालन किए जाने वाली प्रक्रिया ऐसे निर्धारण और ऐसे अन्य मामलों के लिए जिन्हें आवश्यक या आकस्मिक उपचार माना जा सकता है के लिए निर्दिष्ट कर सकता है ।

धारा 9 (3 बी) : जहां रिज़र्व बैंक के विचार में उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत चुने गए किसी भी तत्संबंधित बैंक के किसी भी निदेशक द्वारा उप-धारा (3 ए) और (3 एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जाता है, बैंक को अपनी बात रखने का उचित अवसर देने के बाद आदेश द्वारा ऐसे निदेशक हटाया जा सकता है और इस तरह के निष्कासन पर, निदेशक मंडल किसी अन्य व्यक्ति को उप-धारा (3 ए) एवं (3 एए) की आवश्यकता को पूरा कर उस व्यक्ति को हटाए गए निदेशक के स्थान पर निदेशक बनने का विकल्प

प्रदान करेगा जब तक किसी निदेशक को अगली वार्षिक आम बैठक में तत्संबंधित बैंक के शेयरधारकों द्वारा विधिवत निर्वाचित नहीं किया जाता है और तब तक चुने गए व्यक्ति को तत्संबंधित बैंक के शेयरधारकों द्वारा विधिवत रूप से चुना गया निदेशक माना जाएगा।

निष्ठा और गोपनीयता का दायित्व :

धारा 13 (2): प्रत्येक निदेशक, किसी स्थानीय बोर्ड या समिति का सदस्य, या लेखा परीक्षक, सलाहकार, अधिकारी या तत्संबंधित बैंक के अन्य कर्मचारी कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र में निष्ठा और गोपनीयता की घोषणा करेंगे।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970

निर्वाचित निदेशक के पद की अवधि : खण्ड 9 (4) :

निर्वाचित निदेशक तीन वर्षों के लिए पद धारण करेगा और पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा। बशर्ते कि ऐसा कोई भी निदेशक छह साल से अधिक की अवधि के लिए लगातार पद धारण नहीं करेगा।

निदेशकों की अयोग्यता :

खण्ड 10 :

किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा :-

- (ए) यदि उसे किसी भी समय दिवालिया घोषित कर दिया गया है या उसने भुगतान निलंबित कर दिया है या अपने लेनदारों के साथ समझौता कर लिया है या
- (बी) अगर वह दिमागी तौर पर असंतुलित है और एक सक्षम अदालत द्वारा ऐसा घोषित किया गया है या
- (सी) यदि उसे अनैतिकता के आधार किसी अपराध के आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है या
- (डी) यदि वह किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत भारतीय स्टेट बैंक में या भारतीय स्टेट बैंक (सब्सिडियरी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी भी अनुषंगी बैंक के सिवाय अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत खंड (ई) व (एफ) के अनुसार प्रबंध निदेशक और निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशक के अतिरिक्त कोई लाभ का पद धारण करता है

निदेशकों के पद की रिक्ति :

खण्ड 11 :

1. यदि कोई निदेशक खंड 10 में निर्दिष्ट किसी भी अपात्रता के अनुसार अयोग्य पाया जाता है या बोर्ड की छुट्टी के बिना लगातार तीन से अधिक बैठकों के लिए अनुपस्थित रहता है, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने पद त्याग कर दिया है और उसके बाद उसका पद रिक्त हो जाएगा।
2. अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या निदेशक सहित एक पूर्णकालिक निदेशक, जो अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के तहत खंड (बी) या खंड (सी) या खंड (डी) में निर्दिष्ट है, केंद्र सरकार को लिखित रूप में नोटिस देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और सरकार द्वारा इस्तीफा स्वीकार किए जाने पर यह माना जाएगा कि उसने अपना पद त्याग कर दिया है और कोई अन्य निदेशक केंद्र सरकार को लिखित रूप से नोटिस देकर अपने कार्यालय से इस्तीफा दे सकता है और इस तरह का इस्तीफा केंद्र सरकार द्वारा इस्तीफे की सूचना प्राप्ति पर प्रभावी होगा।

3. पूर्वगामी उप-खंड के प्रावधान पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (ई) या खंड (एफ) में निर्दिष्ट किसी निदेशक का कार्यकाल या राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारी के अतिरिक्त, जिसके वे निदेशक हैं के पद समाप्ति के साथ ही निदेशक का पद समाप्त हो जाएगा।
4. जहां किसी निर्वाचित निदेशक के अतिरिक्त किसी निदेशक के कार्यालय में कोई रिक्ति होती है, वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के अनुसार भरी जाएगी।

निर्वाचित निदेशक को पद से हटाया जाना

खण्ड 11ए :

केंद्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारक, ऐसे शेयरधारकों द्वारा धारित कुल शेयर पूंजी की कम से कम आधी पूंजी को धारित करने वाले शेयरधारकों के बहुमत से एक संकल्प पास करके धारा 9 की उपधारा (3) के खंड(i) के अंतर्गत चुने गए किसी भी निदेशक को हटा सकते हैं और रिक्ति को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं।

निर्वाचित निदेशक के रिक्त पद को भरना

खण्ड 11बी :

1. जहां किसी निर्वाचित निदेशक के पद की अवधि समाप्त होने से पहले कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, वहाँ रिक्त पद निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा।
बशर्ते रिक्ति की अवधि छह महीने से कम होने की संभावना है, रिक्ति शेष निदेशकों द्वारा भरी जा सकती है।
2. उप खंड (1) के तहत निर्वाचित या उप-निर्वाचित व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, अपने पूर्ववर्ती के पद की शेष समयावधि के लिए पदधारण करेगा।

निदेशकों द्वारा हितों का प्रकटीकरण :

खंड 12 (8):

कोई निदेशक जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है या किसी अनुबंध, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव में रुचि रखता है या राष्ट्रीयकृत बैंक की ओर से दर्ज कराए जाने के लिए प्रस्तावित है या प्रस्तावित किया गया है, प्रासंगिक परिस्थितियों के बाद अपने संज्ञान में आने पर जितनी जल्दी हो सके बोर्ड के प्रति अपनी रुचि की प्रकार को स्पष्ट करेगा और तब तक बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं होगा जब तक ऐसे अनुबंध, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है जब तक कि उसकी उपस्थिति अन्य निदेशकों द्वारा जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से आवश्यक न हो और किसी निदेशक का इस तरह के किसी भी अनुबंध, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर मतदान करना आवश्यक होगा :

बशर्ते इस उप-खंड में निहित कुछ भी ऐसे निदेशक पर केवल इसीलिए लागू नहीं होगा, यदि वह :

- i. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी या तत्समय भारत में किसी कानून के द्वारा या अधीन स्थापित निगम या किसी सहकारी समिति, जिसके साथ राष्ट्रीयकृत बैंक ने कोई करार, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव किया या ऐसा कुछ किया जाना प्रस्तावित है, में उसकी चुकता पूंजी का 2 प्रतिशत से अधिक का धारण करता हो ।
- ii. राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी, यदि वह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ई) या खंड (एफ) में निर्दिष्ट निदेशक है।

विशेष प्रावधान:

खंड 14ए:

जहां एक राष्ट्रीयकृत बैंक को कानून द्वारा कोई कार्य या कार्य करने की आवश्यकता होती है और ऐसा करने के लिए प्रतिभूतिधारकों की किसी भी समिति द्वारा किसी नियुक्ति, अनुमोदन या समीक्षा के संबंध में सिफारिशों या निर्धारण, या शिकायतों का समाधान बैंक के बोर्ड की आवश्यकता है, और यदि बोर्ड संतुष्ट है कि ऐसी समिति की बैठक के लिए कोरम ऐसी समिति में किसी भी रिक्ति या उसके सदस्य द्वारा अलग होने के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है, तो बोर्ड वह कार्य कर सकता है।

इंडियन बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1999, यथा संशोधित

संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग :

विनियम 10 :

यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो रजिस्टर में नामित प्रथम धारक ही शेयरों के हस्तांतरण को छोड़कर, मतदान, लाभांश की प्राप्ति, नोटिस का निष्पादन एवं इंडियन बैंक से जुड़े अन्य मामलों हेतु एकमात्र धारक माना जाएगा ।

आम बैठक में चुने जाने वाले निदेशक : विनियमन 55 :

- पंजीकृत शेयरधारकों, केंद्र सरकार के अतिरिक्त, द्वारा उन्हीं में से किसी एक को अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत एक निदेशक, निर्वाचित किया जाएगा ।
- जहां निदेशक का चुनाव किसी भी आम बैठक में होना है, वहाँ बैठक की सूचना देने वाले नोटिस को बैठक में शामिल किया जाएगा। ऐसे प्रत्येक नोटिस में निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या निर्दिष्ट की जाएगी और चुनाव के लिए रिक्तियों का विवरण दिया जाएगा।

शेयरधारकों की सूची :

विनियम 56 :

- इन विनियमों के विनियमन 55 के उप-नियमन (i) के तहत किसी निदेशक के चुनाव हेतु उन पंजीकृत शेयरधारकों की सूची तैयार की जाएगी जिनके द्वारा निदेशक का चुनाव किया जाना है
- इस सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या व पंजीकृत की गई दिनांक पर शेयरों की संख्या और वोटों की संख्या जिसके लिए वे चुनाव हेतु बैठक की तय तारीख पर हकदार होंगे, यह सूची बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पहले प्रधान कार्यालय को आवेदन भेजे जाने पर, बोर्ड या प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएगी ।

निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन :

विनियम 57 :

- निदेशक के रूप में चुनाव के लिए अभ्यर्थी का कोई भी नामांकन तब मान्य होगा जब तक कि,
 - वह इंडियन बैंक में कम से कम 100 (एक सौ) शेयरों का धारक हो।
 - वह नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि पर, अधिनियम या योजना के तहत निदेशक पद के लिए अयोग्य नहीं है।
 - उसने अपने पास रखे बैंक के शेयरों के संबंध में सभी मांगे चाहे वह एकल हो या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से, मांग के भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से पहले या उससे पहले, का भुगतान किया है;
 - यह नामांकन अधिनियम के तहत निदेशकों का चयन करने के लिए पात्र कम से कम सौ शेयरधारकों

द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप से या उनके विधिवत नियुक्त वकील द्वारा हस्ताक्षरित है, बशर्ते नामांकन करने वाला शेयरधारक यदि कंपनी हो तो यह नामांकन कंपनी के निदेशकों द्वारा पारित संकल्प से किया जाए जिस बैठक में यह संकल्प पारित हुआ है उस बैंक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित इस संकल्प की प्रमाणित मूल प्रति को बैंक के प्रधान कार्यालय को भेज दिया जाएगा और इस तरह की प्रति को कंपनी की ओर से नामांकन माना जाएगा।

च) नामांकन में न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एश्यूरेंस रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा शामिल होनी चाहिए, कि वह नामांकन स्वीकार करता है और निर्वाचन में प्रतिभागिता का इच्छुक है और यह कि वह अधिनियम या योजना या इन विनियमों के तहत निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं है।

ii. कोई भी नामांकन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि वह सभी संबंधित दस्तावेजों जो सभी तरह से पूर्ण न हो और बैठक के लिए तय की गई तारीख से कम से कम चौदह दिन पहले इंडियन बैंक के प्रधान कार्यालय में प्राप्त नहीं किया गया हो।

नामांकन की जांच :

विनियम 58 :

- i. नामांकन की प्राप्ति के लिए निर्धारित तिथि के बाद प्रथम कार्य दिवस पर नामांकन की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है, तो उसके कारण को दर्ज करने के बाद उसे खारिज कर दिया जाएगा। यदि चुनाव द्वारा भरे जाने वाले किसी विशेष पद के लिए केवल एक ही मान्य नामांकन है, तो नामांकित उम्मीदवार को निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम और पता निर्वाचित रूप में प्रकाशित किया जाएगा। इस तरह के आयोजन में इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और यदि बैठक को पूर्वोक्त चुनाव के उद्देश्य से पूरी तरह से बुलाया गया था, तो इसे रद्द कर दिया जाएगा।
- ii. चुनाव होने की स्थिति में, यदि वैध नामांकन, निर्वाचित होने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक है, तो अधिकांश मत पाने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचित माना जाएगा।
- iii. मौजूदा रिक्ति को भरने के लिए चुने गए एक निदेशक को उस तारीख से पदभार ग्रहण समझा जाएगा, जिस दिन वह निर्वाचित माना जाता है।

निर्वाचन विवाद :

विनियमन 59 :

- i. यदि निर्वाचित माने गए या निर्वाचित घोषित किए जाने वाले की योग्यता या अयोग्यता पर या निदेशक के निर्वाचन की वैधता पर कोई संदेह या सवाल उठता है तो उस स्थिति में अभ्यर्थी बनने का इच्छुक कोई व्यक्ति या इस निर्वाचन में मतदान का हकदार कोई शेयर धारक चुनाव के परिणाम की घोषणा की तारीख के सात दिनों के भीतर, बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को लिखित रूप में दे सकता है और उक्त सूचना में पूर्ण विवरण दिया जाए जिसके आधार पर वह चुनाव की वैधता पर संदेह या विवाद उत्पन्न करता है।
- ii. उप-विनियमन (i) के अंतर्गत, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में, बैंक के कार्यपालक निदेशक इस संदेह या विवाद को संबन्धित समिति जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक होंगे या उनकी

अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक एवं अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड(ख) व (ग) के तहत नामांकित कोई दो निदेशक होंगे, के समक्ष निर्णय लिए जाने हेतु प्रस्तुत करेंगे ।

- iii. उप-नियमन (ii) में उल्लिखित समिति यह जांच करेगी क्योंकि यह बहुत आवश्यक है और यदि यह पता चलता है कि चुनाव एक वैध चुनाव था, तो यह चुनाव के घोषित परिणामों की पुष्टि करेगी, या यदि यह पाता है कि एक वैध चुनाव नहीं हुआ था तब यह जांच शुरू होने के तीस दिनों के भीतर, परिस्थितियों को देखते हुए नए चुनाव कराने का आदेश और निर्देश देगी।
- iv. इस विनियमन के अनुसरण में ऐसी समिति का आदेश और निर्देश निर्णायक होगा।

शेयरधारकों के मतदान अधिकार :

विनियम 60 :

मतदान के अधिकार का निर्धारण :

- i. अधिनियम की धारा 3 (2 ई) में निहित प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक शेयरधारक जो सामान्य बैठक की तारीख से पहले रजिस्टर प्रविष्टि के बंद होने की तारीख पर एक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, उसे इस तरह की बैठक में हाथ उठाकर मतदान किए जाने की स्थिति में वह केवल एक मत का धारक होगा।
- ii. अधिनियम की धारा 3 (2 ई) में निहित प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक शेयरधारक जो उपरोक्त के आधार पर वोट देने का अधिकारी है यदि वह कंपनी नहीं है, व्यक्तिगत रूप में या प्रॉक्सी के माध्यम से मौजूद है या जो कंपनी होने के नाते विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में मौजूद है, वे हाथ उठाकर मतदान किए जाने की स्थिति में केवल एक मत का धारक होंगे तथा मतदान किए जाने की स्थिति में उप विनियम (i) के अनुसार प्रत्येक शेयर पर एक मत का धारक होगा ।

स्पष्टीकरण— इस अध्याय में, "कंपनी" का अर्थ कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है।

एक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने के हकदार बैंक के शेयरधारक किसी अन्य व्यक्ति (चाहे वह शेयरधारक हो या नहीं) को उसके बजाय उपस्थित होने और मतदान करने के लिए अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करने का हकदार होगा; लेकिन नियुक्त किए गए प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान :

विनियम 61:

- i. एक शेयरधारक, केंद्र सरकार या कंपनी होने के नाते, किसी संकल्प द्वारा, जैसा कि मामला हो सकता है, अपने किसी भी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की किसी भी सामान्य बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करता है और वह अधिकृत (इन संदर्भित विनियमों में "विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि" के रूप में उल्लिखित) केंद्र सरकार या कंपनी की ओर से उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार होगा जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वह बैंक का एक व्यक्तिगत शेयरधारक ही हो। अधिकरण विकल्प दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है और ऐसे मामले में कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार / कंपनी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।
- ii. कोई भी व्यक्ति कंपनी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में भाग नहीं लेगा या मतदान नहीं करेगा, जब तक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाला संकल्प जिस बैठक में पारित किया गया हो उस अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित मूल न हो तथा इसे इसे बैठक की नियत तिथि से चार दिन पूर्व बैंक के प्रमुख कार्यालय में प्रस्तुत किया गया हो ।

प्रॉक्सी

विनियम 62:

- I. प्रॉक्सी की कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक वैयक्तिक शेयरधारकों के मामलों में शेयरधारक या उसके अटर्नी द्वारा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत नहीं किया जाता है या संयुक्तधारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक या उनके द्वारा लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है या निर्गमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत किसी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।
बशर्त प्रॉक्सी की लिखत किसी शेयरधारक द्वारा जो किसी कारणवश अपना नाम नहीं लिख सकता/सकती है तो यदि उसका चिह्न / निशान उस पर लगाया जाता है और किसी जज, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या एश्युरेंस सब रजिस्ट्रार या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इंडियन बैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है तो उसे पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित माना जाएगा।
- II. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक उस पर विधिवत् रूप से मुहर न हो और इस संबंध में इसकी एक प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय या बैंक द्वारा अधिसूचित किसी अन्य स्थान पर बैठक के लिए तय तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकार के साथ (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत वह हस्ताक्षरित हो या मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकार की प्रति जो कि किसी नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित किया गया हो जब तक कि ऐसा मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकारी द्वारा पहले ही जमा किया गया हो और बैंक के साथ पंजीकृत किया गया हो।
- III. प्रॉक्सी की कोई भी लिखत तब तक मान्य नहीं होगी, जब तक वह प्रपत्र "बी" में न हो ।
- IV. बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी की लिखत अपरिवर्तनीय और अंतिम होगी।
- V. दो अनुदानकर्ताओं के पक्ष में वैकल्पिक रूप में दी गई प्रॉक्सी की लिखत के मामलों में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किए जाएंगे।
- VI. ऐसे शेयरधारक जिन्होंने प्रॉक्सी की लिखत निष्पादित की हो, संबंधित बैठक में जिसमें ऐसी लिखत संबंधित हो व्यक्तिगत रूप से मतदान करने के लिए हकदार नहीं होंगे।
- VII. ऐसे किसी व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या एक प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो कि इंडियन बैंक का अधिकारी या कर्मचारी हो।
- VIII. प्रॉक्सी फॉर्म में सभी परिवर्तन विधिवत् रूप से प्राधिकृत होने चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक (पीएसबीएस के बोर्ड में चुने गए निदेशकों के लिए "उपयुक्त व उचित" मापदण्ड) दिशा-निर्देश, 2019:

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धाराओं (3 एए) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी अधिसूचना संख्या आरबीआई/ डीबीआर/ 2019-20/ 71 मास्टर दिशानिर्देश डीबीआर एफ्ट नंबर: 9/ 29.67.001/ 2019-20 दिनांकित 02 अगस्त, 2019 द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की (उपयुक्त व उचित) पीएसबी के बोर्डों पर निर्वाचित निदेशकों के लिए मानदंड दिशानिर्देश, 2019 अधिसूचित किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएँ:-

"उपयुक्त एवं उचित" स्थिति आदि को निर्धारित करने वाले प्राधिकारी, प्रक्रिया एवं मापदण्ड निम्नानुसार हैं:-

(ए) प्राधिकार

सभी बैंकों को एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करना आवश्यक है (इसके बाद से समिति के रूप में संदर्भित किया जाएगा) जिसके निदेशक मंडल में कम से कम तीन गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे बोर्ड के रूप में संदर्भित, जिसमें कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे और बोर्ड के जोखिम प्रबंधन समिति के कम से कम एक सदस्य को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए व्यक्तियों के 'उचित और

उपयुक्त' के निर्धारण हेतु उचित प्रक्रिया को चलाने के लिए शामिल किया जाना चाहिए। भारत सरकार नामित निदेशक और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 धारा 9 (3) (ग) के तहत नामित निदेशक समिति का हिस्सा नहीं होंगे। बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष समिति के सदस्य हो सकते हैं परन्तु समिति के अध्यक्ष नहीं। बोर्ड उनके बीच से किसी एक को समिति का अध्यक्ष नामित करेगी। कोरम पूरा करने के लिए अध्यक्ष सहित तीन की आवश्यकता है। किसी भी नामित सदस्य की अनुपस्थिति में कोरम पूरा करने के लिए, बैठक के लिए उनके स्थान पर किसी अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक को बोर्ड नामित कर सकता है। समिति के गठन के समय, बोर्ड अपने कार्यकाल पर निर्णय ले सकता है।

(बी) प्रणाली और प्रक्रिया

चयन के लिए नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्तियों से बैंकों को आवश्यक जानकारी, और एक घोषणापत्र और वचनपत्र संलग्न प्रारूप में (अनुलग्नक 1) प्राप्त करना होगा। समिति नामांकन की स्वीकृति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद बैठक करेगी और नीचे दिए गए मानदंडों के आधार पर व्यक्ति की उम्मीदवारी को स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं, निर्धारित करेगी। समिति की चर्चा को बैठक के औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में दर्ज किया जाएगा और यदि मतदान किया जाता है, तो यह भी नोट किया जाएगा। हस्ताक्षरित घोषणापत्र में प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, समिति उम्मीदवारी की स्वीकृति या अन्यथा पर निर्णय लेगी और जहां आवश्यक हो, उपयुक्त प्राधिकारी/ व्यक्तियों को संदर्भित करेगा कि दर्शाए गए आवश्यकताओं के अनुरूप उम्मीदवारी है।

(सी) मानदंड

समिति यहां उल्लिखित व्यापक मानदंडों के आधार पर प्रस्तावित उम्मीदवारों की 'उचित और उपयुक्त' स्थिति का निर्धारण करेगी:

- (i) **आयु**— चयन के लिए नामांकन जमा करने की निर्धारित तिथि के अनुसार उम्मीदवार की आयु 35 से 67 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- (ii) **शैक्षणिक योग्यता** — उम्मीदवार कम से कम स्नातक होना चाहिए।
- (iii) **अनुभव और विशेषज्ञता का क्षेत्र** — उम्मीदवार को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 24 नवंबर 2016 के परिपत्र डीबीआर.एपीपीटी.बीसी सं.39/29.39.001/2016-17 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3क)(क)में उल्लिखित अनुसार एक या अधिक मामलों के संबंध में, जैसा भी मामला हो, विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो।
- (iv) **अयोग्यता** : राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970/80 के खंड 10 'निदेशकों की अयोग्यता' के अतिरिक्त :
 - (क) उम्मीदवार किसी भी बैंक या रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्थान (एफआई) या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक के एनओएफएचसी के बोर्ड का सदस्य नहीं होने चाहिए।
स्पष्टीकरण : इस उप-पैरा और उप-पैरा (ग) के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति "बैंक" में एक बैंकिंग कंपनी, एक नया बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एक सहकारी बैंक और एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल होंगे।
 - (ख) किराया खरीद, वित्तपोषण, धन उधार, निवेश, पट्टेदारी और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति को पीएसबी के बोर्ड में निर्वाचित निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होंगे। हालांकि, ऐसी संस्थाओं के निवेशकों को निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, अगर वे उनमें किसी प्रबंधकीय नियंत्रण में नहीं हो।
 - (ग) ऐसा कोई व्यक्ति निर्वाचित/ पुनः निर्वाचित नहीं हो जिन्होंने छः वर्ष तक लगातार अथवा अंतराल पर किसी भी बैंक/ वित्तीय संस्था/ आरबीआई/ बीमा कंपनी के बोर्ड में पूर्व में निदेशक के रूप में सेवा प्रदान की हो।
 - (घ) उम्मीदवार स्टॉक ब्रोकिंग के व्यवसाय से जुड़ा नहीं होना चाहिए।

- (च) उम्मीदवार संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों का सदस्य नहीं होना चाहिए। (अन्य स्थानीय निकायों से तात्पर्य है कि नोटिफाइड एरिया काउंसिल, सिटी काउंसिल, पंचायत, ग्राम सभा, ज़िला परिषद, आदि।)
- (छ) उम्मीदवार ऐसी किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के साझेदार के रूप में कार्य न कर रहा हो जो वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रही हो।
- (ज) उम्मीदवार ऐसी किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के साझेदार के रूप में कार्य न कर रहा हो जो वर्तमान में उस बैंक में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रही हो, जिसमें चयन के लिए नामांकन दाखिल किया गया है।

(v) **कार्यावधि** – निर्वाचित निदेशक तीन साल के लिए पद धारण करेंगे और पुनः चयन के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि ऐसे कोई भी निदेशक, निरंतर या अंतराल सहित, छह वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेंगे।

(vi) **व्यावसायिक प्रतिबंध** –

- (क) उम्मीदवार का न तो संबंधित बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध (कानूनी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं सहित) होना चाहिए और न ही ऐसी गतिविधियों में शामिल होना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप उस बैंक के साथ व्यावसायिक हितों का टकराव हो सकता है।
- (ख) उम्मीदवार का किसी बैंक या किसी अन्य बैंक को धारित करने वाली एनओएफ़एचसी के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं होना चाहिए।
- (ग) बशर्ते कि चयन के लिए नामांकन दाखिल करते समय किसी बैंक के साथ इस तरह के संबंध रखने वाले उम्मीदवार को मद (ख) की अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाला माना जाएगा, और उम्मीदवार समिति को यह घोषणा प्रस्तुत करेगा कि यदि वह निदेशक के रूप में निर्वाचित होता है तो बैंक के साथ संबंध समाप्त कर देगा और निर्वाचित होने पर बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति से पहले ऐसे संबंध समाप्त कर देता है।

(vii) **ट्रैक रिकॉर्ड और सत्यनिष्ठा** – उम्मीदवार को किसी भी विनियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण / एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी की प्रतिकूल निगरानी के तहत नहीं होना चाहिए और किसी भी ऋणदाता संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

बैंक निर्वाचित निदेशक से निम्नलिखित प्राप्त करेगा:

- (क) ऐसे व्यक्ति द्वारा निदेशक का पद ग्रहण करने से पहले, अनुबंध में दिए गए फॉर्मेट (अनुबंध 2) में निष्पादित प्रसंविदा विलेख: पीएसबीएस के बोर्ड में चुने गए निदेशकों के लिए "उपयुक्त एवं उचित" मापदण्ड
- (ख) हर वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार इस आशय की एक साधारण घोषणा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा पहले से उपलब्ध कराई गई जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- (ग) जहां निर्वाचित निदेशक ने सूचित किया है कि पहले दी गई सूचना में परिवर्तन है, बैंक ऐसे निदेशक से नया अनुबंध 1 प्राप्त करेगा जिसमें सभी परिवर्तन शामिल हों।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही,

- (क) सुरक्षा उपायों की एक प्रणाली बनाएँगे, जिसमें निर्वाचित सीए निदेशक के/ उसकी फर्म के ग्राहकों और उसके/ उसकी फर्म के ग्राहकों से संबंधित बैंक के ऋण/ निवेश निर्णयों में भाग नहीं लेने संबंधी उपयुक्त प्रकटीकरण शामिल होंगी। निर्वाचित सीए निदेशक से अपेक्षित है कि इस पूरी प्रक्रिया से खुद को अलग रखें और इस आशय की प्रसंविदा पर हस्ताक्षर करें।

(ख) निर्वाचित निदेशक द्वारा व्यावसायिक संस्थाओं में अपने हितों और निदेशक-पद का पूर्ण और उचित प्रकटीकरण अपेक्षित है, साथ ही जिन संस्थाओं में उनके हित हैं, उनसे जुड़े बैंक के ऋण/ निवेश निर्णयों से निदेशक व्यक्तिगत रूप से खुद को अलग रखें और भाग नहीं लें।

(ग) ऐसे निदेशक के रूप में पद छोड़ने के बाद दो साल की अवधि तक बैंक किसी व्यक्ति को, जो उस बैंक का निर्वाचित निदेशक रह चुका है, को कोई व्यावसायिक कार्य आवंटित नहीं करेगा।

जहां निर्वाचित निदेशक:

(क) निम्नलिखित में असफल रहते हैं,

- i. प्रसविदा विलेख या घोषणा जमा करने में; या
- ii. उपयुक्त प्रकटीकरण करने में; या
- iii. जहां उनके हित जुड़े हैं, वहां ऋण/ निवेश निर्णयों में भाग लेने से; या

(ख) अधूरे या गलत प्रकटीकरण करते हैं; या

(ग) ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं, जो उन्हें उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार "उचित और उपयुक्त नहीं" बनाते हैं,

ऐसे निदेशक को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3 एए) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला नहीं माना जाएगा और वह इसके परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।

समिति नए निदेशकों के रूप में चयन के लिए उम्मीदवारों के नामांकन (नियुक्ति /पुनः नियुक्ति) की जांच करते समय उपर्युक्त संशोधित मानदंडों को अपनाएगी। तथापि, मौजूदा निर्वाचित निदेशकों को संशोधन- पूर्व मानदंडों के अनुसार अपना वर्तमान कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दी जाए।

अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के निर्वाचन हेतु दिशा-निर्देश :

भारत सरकार ने 3 सितंबर 2013 के अपने पत्र द्वारा यह निर्देशित किया है कि बोर्ड की नामांकन समिति शेयरधारक निदेशकों के 'उचित व उपयुक्त' स्टेटस का निर्धारण करते समय गैर सरकारी निदेशकों के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखेगी। भारत सरकार ने 28 अप्रैल 2015 के अपने पत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को संशोधित दिशा-निर्देश दिनांक 25 मार्च, 2015 को एवं अपनी पत्र संख्या 20 जुलाई, 2015 द्वारा संशोधनों को दिनांक 8 जुलाई, 2016 को अग्रेषित कर दिया है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं:

(ए) सामान्य:

1. नामांकन संबंधित अधिनियमों / नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
2. नामांकितों की उपयुक्तता का आकलन औपचारिक योग्यता और विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा आदि के आधार पर किया जाएगा। सत्यनिष्ठा और उपयुक्तता का आकलन करने के लिए, आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत ऋणों के लिए किए गए सिविल कार्रवाई, प्रवेश से इनकार या पेशेवर निकायों से निष्कासन, नियामकों और इसी तरह के निकायों द्वारा लागू प्रतिबंधों और पिछले संदिग्ध व्यवसायिक क्रिया-कलापों आदि पर भरोसा किया जाएगा।

(बी) अनुभव :

1. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग और आईटी के क्षेत्रों में विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण या

व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों पर आमतौर पर विचार किया जाएगा। 20 साल तक किसी उद्योग के एक वरिष्ठ पद का अनुभव, संबंधित क्षेत्रों में स्थापित विशेषज्ञता (सफलतापूर्वक एक प्रतिष्ठित संगठन का नेतृत्व किया हो, एक असफल संगठन को सफल संगठन के रूप में परिवर्तित करने में नेतृत्व योगदान प्रदान किया हो) को प्राथमिकता दी जाएगी।

2. सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी जिनके पास 20 वर्ष का कुल अनुभव हो और संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी जिनका न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त सीएमडी/ईडी, सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद। पूर्व सीएमडी/ईडी को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए नहीं माना जाएगा, जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के सीएमडी/ईडी की सेवा किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में गैर सरकारी निदेशक के रूप में नहीं मानी जाएगी।
3. प्रमुख प्रबंधन बैंकिंग संस्थानों के अकादमिक निदेशक और प्रोफेसर जिनको 20 वर्ष से अधिक का अनुभव है।
4. चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनको 20 साल का अनुभव हो (ऑडिट के अनुभव को छोड़कर) को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
5. हालांकि, मामले की गुण-अवगुण के आधार पर असाधारण मामलों में वित्त मंत्री की मंजूरी से अनुभव मानदंड में ढील दी जा सकती है।
6. जहाँ तक संभव हो महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

(सी) शिक्षा :

एक गैर सरकारी निदेशक को कम से कम व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और आईटी में विशेषज्ञता के साथ किसी भी क्षेत्र में स्नातक होना चाहिए।

(डी) उम्र:

निदेशक की आयु, सर्च / नामांकन समिति द्वारा सिफारिश की तिथि पर 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ई) काम के अनुभव :

पेशेवर / शिक्षाविद जिनको आमतौर पर अपने विशेष क्षेत्र में 20 साल के कार्य का अनुभव हो।

(एफ) अयोग्यताएं :

1. किसी भी श्रेणी के बैंक/ वित्तीय संस्थान/ भारतीय रिजर्व बैंक/ बीमा कंपनी में पहले से ही निदेशक होने पर, किसी भी अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थान/ भारतीय रिजर्व बैंक/ बीमा कंपनी में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामांकन हेतु विचार नहीं किया जा सकता है।
2. किराया- खरीद, वित्तपोषण निवेश, पट्टे और अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति, सांसद, विधायक, एमएलसी और स्टॉक ब्रोकर को बैंकों/ वित्तीय संस्थान/ भारतीय रिजर्व बैंक/ बीमा कंपनियों के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए किराया- खरीद, वित्त पोषण, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों में निवेशकों को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, अगर वे ऐसी कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं रखते हैं। गैर सरकारी निदेशक, यदि वे ऐसी कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं रखते हैं।
3. किसी भी व्यक्ति को बैंक/एफआई/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में गैर सरकारी निदेशक के रूप में फिर से नामांकित नहीं किया जा सकता है, जिसमें उसने पूर्व में निदेशक के रूप में किसी भी श्रेणी में दो कार्यकाल अथवा छह वर्ष, जो भी अधिक हो, के लिए सेवा दी हो।

4. एक चार्टर्ड एकाउंटेंट, यदि उनका फर्म वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हो।
5. एक चार्टर्ड एकाउंटेंट, यदि उनका फर्म वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में वैधानिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हो।

(जी) अवधि :

बैंक/एफआई/आरबीआई/ बीमा कंपनी बोर्ड में निदेशक के रूप में नामांकन के लिए उस गैर सरकारी निदेशक पर विचार नहीं किया जाएगा, जो निदेशक पहले से ही किसी अन्य बैंक/एफआई/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में लगातार या अनिंतर पर छह साल के लिए गैर सरकारी निदेशक / शेरधारक-निदेशक रहे चुके हैं।

(एच) व्यावसायिक प्रतिबंध :

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड 10 (डी) के तहत किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में व्यावसायिक प्रतिबंध के साथ-साथ कार्यालय लाभ की अलग से जांच की जाय।

(आई) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व :

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बोर्डों में देश के सभी छह क्षेत्रों-उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्व का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

जैसा कि आरबीआई निर्देशों के अनुसार लगाया गया प्रतिबंध तथा भारत सरकार के दिशानिर्देश प्रकृति में एक जैसे हैं, अतः अभ्यर्थियों के उचित व उपयुक्त स्टेटस का निर्धारण करते समय बैंक उपरोक्त दोनों से अधिक कड़े मानदंड प्रयोग करे।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह.अ.

(एस. एल. जैन)

प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 05 अक्टूबर, 2021



कॉर्पोरेट कार्यालय, 254-260, अखै षण्मुगम सालै, रायपेड़ा, चेन्नै-600014

बैंक का नाम: इंडियन बैंक

कृपया नवीनतम फोटो
यहाँ लगाएं

**प्रस्तावित निदेशक (अभ्यर्थी) द्वारा 'घोषणापत्र और वचनपत्र'
(यथोचित अनुलग्नकों सहित)**

क्र. सं.	विवरण	दी जानेवाली सूचना		
I. व्यक्तिगत विवरण:				
1.	नाम (पूर्ण)	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
2.	पिता का नाम			
3.	लिंग (एम/एफ/अन्य)			
4.	वर्तमान पता			
5.	ई-मेल पता और वैकल्पिक ई-मेल पता : एसटीडी कोड सहित दूरभाषा नं.: मोबाइल नं. :			
6.	राष्ट्रीयता			
7.	जन्म तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई) और आयु			
8.	शैक्षणिक योग्यता			
9.	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	___/___/_____ आयु: ___ वर्ष ___ माह		
10.	आधार संख्या (वैकल्पिक)			
11.	(ए) स्थायी खाता संख्या (पैन) (बी) चार्ज जहां प्रस्तावित निदेशक के कर का मूल्यांकन किया जाता है (आयकर क्षेत्र)/ आयकर सर्किल/वार्ड का नाम और पता (सी) पिछले 3 वर्षों में दाखिल किए गए रिटर्नों और भुगतान की गई करों का विवरण	दाखिल करने की तिथि	भुगतान की गई कर की राशि (आईएनआर)	
12.	स्थायी पता			
13.	लेखा, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, कानून, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान और निपटान प्रणाली, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन जैसे किसी एक या अधिक मामलों के संबंध में प्रासंगिक ज्ञान या अनुभव पर एक संक्षिप्त लेख के रूप में विवरण, या किसी अन्य मामले के बारे में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, जो रिजर्व बैंक की राय में बैंकिंग कंपनी के लिए उपयोगी हो।			

क्र. सं.	विवरण	दी जानेवाली सूचना			
14.	वर्तमान पेशा (पदनाम, संस्था का नाम और अनुभव पर संक्षिप्त लेख)				
15.	विगत न्यूनतम दस वर्षों से जिस संगठन(ओं) में कार्यरत रहे हों, उसका पूर्ण पता, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, कार्यमुक्त होने की तिथि (कारणों सहित), पदनाम, आदि।				
16.	सनदी लेखाकार के मामले में, निम्नलिखित को इंगित करें : (ए) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की सदस्यता संख्या : (ख) आईसीएआई में पंजीकरण की तिथि : (ग) पंजीकृत फर्म(ओं) का नाम और पता : (घ) वर्तमान में फर्म(ओं) या आपके द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा(ओं) का विवरण :				
17.	जहां आप एक प्राथमिक खाता धारक हैं, उस शाखा का नाम और खाता संख्या (बचत/चालू/ऋण खाते) के साथ बैंक का नाम :	बैंक का नाम	शाखा	खाते का प्रकार	खाता संख्या
18.	यदि किसी संस्था में आपके या पति/पत्नी और आपके नाबालिग बच्चे द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हिस्सेदारी हो तो उसका विवरण दें। (डीमैट/शेयरहोल्डिंग प्रमाण-पत्र संलग्न करें)				
19.	बैंक के निदेशन हेतु कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी :				
II- प्रस्तावित निदेशक के संगत संबंध:					
20.	ऐसे रिश्तेदारों की सूची जो किसी भी बैंक से जुड़े हों, कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 2 (77) और कंपनी नियम, 2014 (परिभाषा की विशेषता) का नियम 4 देखें, यदि कोई हो :				
21.	संस्थाओं की सूची जिसमें : (ए) इच्छुक [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें]: (बी) लाभार्थ स्वामित्व [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 के रूप में एमसीए के लागू महत्वपूर्ण लाभार्थ स्वामित्व नियमों का संदर्भ लें] : (सी) ट्रस्टी (किसी ट्रस्ट के संदर्भ में किसी अन्य संबंध का भी उल्लेख करें) :				
22.	मौजूदा और प्रस्तावित संस्थाओं की सूची, जिसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई) के अंतर्गत सारभूत हित संरक्षित हो।	कंपनी / फर्म का नाम			
		संस्थापन का देश			
		शेयरों की संख्या			
		प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य			

क्र. सं.	विवरण	दी जानेवाली सूचना
		शेयर होल्डिंग का कुल अंकित मूल्य
		कुल चुकता पूंजी के प्रतिशत के रूप में शेयरधारिता
		लाभकारी हित (मूल्य के साथ-साथ प्रतिशत)
		क्या संस्था कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 के दर्जे की कंपनी है?
23.	विदेशों में स्थापित संस्थाओं और भारत में कारोबार के क्षेत्र में अर्जित स्थान का विवरण दें।	
24.	बैंक/एनबीएफसी/किसी अन्य कंपनी का नाम जिसमें वर्तमान में या पूर्व में बोर्ड/सलाहकार आदि का सदस्य है। (उस अवधि का ब्योरा दें जिसके दौरान ऐसे कार्यालय संचालित हो रहे हों/थे)।	
25.	यदि संस्था का कोई उपक्रम किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टादारी और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों (संबंध की प्रकृति का उल्लेख किया जाए) के साथ जुड़ा हुआ है।	
26.	यदि स्टॉक ब्रोकर या शेयर ब्रोकिंग गतिविधियों में संलग्न किसी भी संस्थासे जुड़ा हुआ है, तो उसका विवरण दें।	
27.	वर्तमान में (21) से (26) के अंतर्गत सूचीबद्ध संस्थाओं और/या व्यक्तिगत रूप से प्राप्त की गयी निधि एवं गैर-निधि आधारित सुविधाओं का विवरण, यदि कोई हो।	
28.	यदि कोई ऐसे मामले हों, जहां एक व्यक्ति या (21) से (26) के अंतर्गत सूचीबद्ध उपरोक्त संस्थाओं ने, बैंक/एनबीएफसी/किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था से प्राप्त ऋण का भुगतान न किया हो या उसे इरादतन चूककर्ता घोषित किया गया है।	

एक कंपनी के संबंध में 'सारभूत हित' (i) का अर्थ है एक व्यक्ति या उसके पति/पत्नी या नाबालिग बच्चे द्वारा संरक्षित लाभार्थ हित, चाहे वह अकेले हो या एक साथ, शेयरों में, भुगतान की गई राशि, कंपनी की चुकता पूंजी जोकि पांच लाख रुपये या कंपनी की चुकता पूंजी की दस प्रतिशत से अधिक है, जो भी कम होय (ii) एक फर्म के संबंध में, किसी व्यक्ति या उसके पति/पत्नी या नाबालिग बच्चे द्वारा संरक्षित लाभार्थ हित, चाहे वह अकेले हो या एक साथ, जो उक्त फर्म के सभी भागीदारों द्वारा निर्धारित कुल पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।

III- व्यवसायिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड:

29.	निदेशन हेतु व्यावसायिक उपलब्धियाँ	
-----	-----------------------------------	--

क्र. सं.	विवरण	दी जानेवाली सूचना
IV- प्रस्तावित निदेशक के खिलाफ कार्यवाही, यदि कोई हो:		
30.	(क) एक व्यवसायिक संघ/निकाय के सदस्य के रूप में यदि कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है या शुरू की गई है या जिसके परिणामस्वरूप पूर्व में दोषी ठहराया गया है या किसी भी समय किसी भी पेशे/व्यवसाय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो उसका विवरण दें।	
	(ख) यदि व्यक्तिगत पेशेवर आचरण या गतिविधियों के बारे में किसी भी लिखित शिकायत या आरोप का विषय है, तो उसका विवरण दें।	
31.	आर्थिक कानूनों और नियमों के उल्लंघन के लिए लंबित या शुरू किए गए या जिसके परिणामस्वरूप स्वयं को या (21) से (26) के अंतर्गत सूचीबद्ध उपरोक्त संस्थाओं को दोषी ठहराया गया हो, यदि ऐसे कोई अभियोजन हो, तो उसका विवरण दें।	
32.	यदि कोई आपराधिक अभियोजन हो जो लंबित हो या जिसकी शुरुआत की गई हो या जिसके परिणामस्वरूप सजा हुई हो, तो उसका विवरण दें।	
33.	यदि कोई आपराधिक अभियोजन हो जो लंबित हो या जिसकी शुरुआत की गई हो या जिसके परिणामस्वरूप सजा हुई हो, तो उसका विवरण दें।	
34.	यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत उल्लिखित नियमों के अनुसार किसी भी प्रकार से अयोग्य हैं, तो उसका विवरण दें।	
35.	यदि दिवालिया हो गया है या भुगतान निलंबित कर दिया है या लेनदारों के साथ समझौता कर लिया है, तो उसका विवरण दें।	
36.	यदि कोई मानसिक रूप से असक्षम हो और यह न्यायालय द्वारा घोषित किया गया हो, तो उसका विवरण दें।	
37.	(क) यदि एक आपराधिक न्यायालय द्वारा नैतिक क्रूरता या अन्यथा के अपराध में दोषी ठहराया जाता है, तो उसका विवरण दें।	
	(ख) यदि किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है, तो उसका विवरण दें।	
38.	यदि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के अधीन किसी भी कार्यालय में एक पूर्णकालिक निदेशक के पद को छोड़कर, लाभार्थ पद पर पदस्थ हों, तो उसका विवरण दें।	
39.	यदि एक व्यक्ति या (21) से (26) के अंतर्गत सूचीबद्ध उपरोक्त संस्थाएं पिछले नियोक्ता या सरकारी विभागों या एजेंसी द्वारा किसी भी जांच /सतर्कता/मामलों के संबंध में जांच के अधीन हैं, तो उसका विवरण दें।	
40.	यदि सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आयकर/विदेशी मुद्रा/अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया हो, तो उसका विवरण दें।	
41.	यदि व्यावसायिक नियामक गतिविधियों के कारण सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि, व्यावसायिक संगठन, सरकारी एजेंसी, या अदालत जैसे किसी भी	

क्र. सं.	विवरण	दी जानेवाली सूचना
	<p>नियामक द्वारा निंदा की गई हो, निलंबित किया गया हो, प्रतिबंधित किया गया हो, रोक लगाया गया हो, वर्जित किया गया हो, आदेश जारी किया गया हो, या अन्य कोई हो, तो उसका विवरण दें।</p> <p>हालांकि उम्मीदवार के लिए उन आदेशों और निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा, जो बाद में परिवर्तन किए गए हैं/निरस्त कर दिए गए हैं, परिवर्तन/निरस्त करने के मामलों का उल्लेख तब आवश्यक है जबकि यह तकनीकी कारण जैसे परिसीमा या अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण हुए हों एवं योग्यता के आधार पर नहीं है। यदि आदेश अस्थायी रूप से रुके हुए हैं एवं अपील/न्यायालय प्रक्रिया लंबित है तो इसका उल्लेख आवश्यक है।</p>	

V- सामान्य जानकारी:

42.	<p>चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट आदि जैसे पेशेवर यदि वर्तमान में किसी भी बैंक में किसी भी प्रकार का व्यावसायिक कार्य कर रहे हों/किया हो, तो बैंक के नाम और बैंक में कार्यकाल की अवधि सहित विवरण प्रदान करें।</p>	
43.	<p>यदि कोई, सांसद/एमएलए/एमएलसी या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों में राजनीतिक पद धारण करता है, तो उसका विवरण प्रदान करें।</p>	

VI- प्रकटीकरण और पारदर्शिता के हित में, 'योग्य और उचित' का आकलन करने के लिए प्रासंगिक कोई अन्य जानकारी होनी चाहिए, इसके विवरण प्रदान करें।

वचन-पत्र

मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे संज्ञान में है एवं सत्य और पूर्ण है। मैं, मेरी नियुक्ति के पश्चात घटित सभी घटनाओं, जो ऊपर दी गई जानकारी पर आधारित हैं, से बैंक को शीघ्रतिशीघ्र पूर्ण रूप से अवगत कराने का वचन देता हूँ।

मैं आवश्यकता पड़ने पर बैंक के साथ एक 'वचन विलेख' निष्पादित करने का भी वचन देता हूँ।

	स्थान :	प्रस्तावित निदेशक का हस्ताक्षर (उम्मीदवार)
	दिनांक :	
	उपरोक्त जानकारी की सत्यता एवं पूर्णता पर संतुष्ट होने के पश्चात नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) / बोर्ड की टिप्पणियाँ।	
	स्थान :	एनआरसी/बोर्ड के अध्यक्ष का हस्ताक्षर
	दिनांक :	

कॉर्पोरेट कार्यालय, 254 –260, अक्वे षण्मुगम सालै, रायपेडा, चेन्नै –600014

**घोषणा पत्र
(उम्मीदवार द्वारा)**

मैं,.....श्री / श्रीमती.....
का/की पुत्र/पुत्री/पत्नी
 का/की निवासी यह पुष्टि करता/करती हूँ कि :

(ए) मैं, शुक्रवार, 08 अक्टूबर, 2021 यानी चुनाव में भाग लेने की निर्दिष्ट तिथि को फोलियो सं...../ डीपीआईडी सं..... / ग्राहक आईडी सं. के अंतर्गत रु.10/- प्रति शेयर के अंकित मूल्य के शेयर का शेयरधारक हूँ और बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने पर कार्यकाल के अंत तक शेयरों को संरक्षित रखने का वचन देता हूँ ।

(बी) *मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त (vi) कानून, (vii) लघु उद्योग, (viii) आईटी/भुगतान और निपटान प्रणाली/मानव संसाधन/जोखिम प्रबंधन/व्यवसाय प्रबंधन आदि या भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है तथा मैं अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3ए के संदर्भ में जमाकर्ताओं या किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता हूँ और इसके साक्ष्य के रूप में, मैं संबंधित विवरण प्रस्तुत करता हूँ, तथा

(*जो लागू न हों उसे मिटा दें)

(सी) मैं नामांकन संख्या..... स्वीकार करता हूँ ; तथा

(डी) मैं इंडियन बैंक के निदेशक के पद के लिए चुनाव लड़ने को इच्छुक हूँ ; तथा

(ई) मैं, बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970, इंडियन बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम,1999, यथा संशोधित, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी संबन्धित अधिसूचनाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर सरकारी निदेशकों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के प्रावधानों के तहत बैंक के निदेशक पद के लिए अयोग्य नहीं हूँ तथा

(एफ) मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत अयोग्य नहीं हूँ : तथा

(जी) मैं न तो किसी लाभार्थ पद पर पदस्थ हूँ और न ही मैं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम,1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक का कर्मचारी हूँ या भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम,1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी भी सहायक बैंक का कर्मचारी हूँ ।

आगे, मैं घोषणा करता/करती हूँ कि:

एच) मैं किसी भी समय एक दिवालिया के रूप में घोषित नहीं किया गया या भुगतान निलंबित कर दिया गया या मेरे लेनदारों के साथ समझौता किया गया; तथा

- आई) मुझे अस्वस्थ चित्त नहीं पाया गया है या एक सक्षम अदालत द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है और कोई अपराध, के लिए किसी भी आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है जिसमें नैतिक संकीर्णता शामिल है; तथा
- जे) मुझे किसी भी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य अदालत द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया है; तथा
- के) मैं पूर्व में इस बैंक के बोर्ड में निदेशक नहीं रहा हूँ, किसी भी श्रेणी के तहत दो कार्यकाल या छह साल के लिए, जो भी लंबा हो; तथा
- एल) मैं चुने जाने पर बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध यदि कोई हो तो, को तत्काल समाप्त करूंगा, और निदेशक के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान और उसके बाद दो वर्षों के लिए बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं रखूंगा; तथा
- एम) मैं किसी भी बैंक या रिजर्व बैंक या वित्तीय संस्थान (FI) या बीमा कंपनी या एनओएफएचसी (NOFHC) के किसी अन्य बैंक के बोर्ड का सदस्य नहीं हूँ।
- एन) मैं किसी भी किराया खरीद, वित्तपोषण, धन उधार, निवेश, पट्टेदारी और अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों से जुड़ा नहीं हूँ;
- ओ) मैंने किसी बैंक / वित्तीय संस्थान / भारतीय रिजर्व बैंक / बीमा कंपनी के बोर्ड में पूर्व में, किसी भी श्रेणी में छह साल के लिए, चाहे लगातार या अंतराल पर, निदेशक के रूप में कार्य नहीं किया है।
- पी) मैं स्टॉक ब्रोकिंग कारोबार नहीं कर रहा हूँ।
- क्यू) मैं संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों के सदस्य का पद नहीं संभाल रहा हूँ (अन्य स्थानीय निकायों का अर्थ है अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद, आदि।)
- आर) मैं सनदी लेखाकार फर्म के एक भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूँ जो वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में संलग्न है।
- एस) मैं किसी सनदी लेखाकार फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूँ जो वर्तमान में इंडियन बैंक के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या संवैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में लगी हुई है जिसमें चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया जाता है।
- टी) मेरा इंडियन बैंक के साथ न तो कोई व्यावसायिक संबंध है (कानूनी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) न ही मैं ऐसी गतिविधियों में शामिल हूँ, जिसके परिणामस्वरूप इंडियन बैंक के साथ व्यापारिक हितों का टकराव हो सकता है।
- यू) मैं किसी बैंक या किसी एनओएफएचसी (NOFHC) के साथ किसी अन्य बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं रख रहा हूँ और यदि चुने गए तो निदेशक के रूप में पदभार संभालने से पहले, बैंक के साथ संबंध विच्छेद करने के लिए सहमत हूँ।
- वी) मैं किसी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण / एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं हूँ और मैं किसी भी उधार देने वाली संस्था का डिफाल्टर नहीं हूँ।

डबल्यू) निदेशक के रूप में पदभार संभालने से पहले मैं प्रसंविदा विलेख (भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र दिनांक 02.08.2019 के निर्धारित प्रारूप में) निष्पादित करने के लिए सहमत हूँ;

एक्स) मैं बैंक को इस घोषणा के बाद होने वाली घटनाओं को, यदि कोई हो तो, यथाशीघ्र, पूरी तरह से अवगत कराने के लिए तैयार हूँ, जो कि सूचना के लिए प्रासंगिक हैं, बशर्ते कि वह बैंक के निदेशक के रूप में मेरे चुने जाने पर प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने के लिए सहमत हूँ; तथा

वाई) जब तक मैं बैंक के निदेशक के रूप में इस पद को धारण करता हूँ, तब तक मैं सेबी(सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015, यथासंशोधित, के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करने का वचन देता हूँ; तथा

ज़ेड) मैं अपने व्यक्तिगत विवरणों को संलग्न करता हूँ जो मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और सभी प्रकार से पूर्ण है; तथा

कंपनी / बैंक का नाम	निदेशक पद के विवरण जैसे – कार्यकाल, अवधि इत्यादि

(यदि आवश्यक हो, अतिरिक्त शीट जोड़ें) (जो भी लागू नहीं हो, उसे हटाएं।)

हस्ताक्षर:

नाम:

स्थान:

दिनांक :

मेरे सामने उपरोक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए।

न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, आश्वासनों के रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार,
या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या
इंडियन बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के एक अधिकारी की
मुहर के साथ हस्ताक्षर।

तारीख के साथ हस्ताक्षर और मुहर



कॉर्पोरेट कार्यालय, 254- 260, अक्टूबर षण्मुगम सालै, रायपेड़ा, चेन्नै – 600 014

**नामांकन प्रपत्र
(शेयरधारक द्वारा)**

क्रमांक संख्या.....

सेवा में,

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय,
254- 260, अक्टूबर षण्मुगम सालै,
रायपेड़ा, चेन्नै –600 014.

प्रिय महोदय/महोदया,

निदेशक का निर्वाचन

आपके नोटिस दिनांक 05 अक्टूबर 2021 के संदर्भ में, मैं,....., शुक्रवार, 08 अक्टूबर 2021, जो चुनाव में भाग लेने के लिए निर्दिष्ट तिथि माना गया है, को इंडियन बैंक के 10 / – रुपये के अंकित मूल्य केइक्विटी शेयर का शेयरधारक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) में प्रदान किए गए बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले इंडियन बैंक के निदेशक के रूप में, बृहस्पतिवार, 11 नवंबर 2021 को होने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में चुने जाने के लिए के निवासी, श्री / श्रीमती पुत्र / पुत्री / पत्नी को नामित करता / करती हूं।

हस्ताक्षर	
नाम	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो सं / डीपी आईडी एवं क्लार्क आईडी	
स्थान	
दिनांक	

टिप्पणी:

- 1) यदि नामांकन निगम निकाय द्वारा किया गया है, तो नामांकन प्रपत्र बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक में पारित प्रस्ताव के प्रमाणित सत्य प्रति के साथ, बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित होना चाहिए, जिस बैठक में यह पारित किया गया था।
- 2) उम्मीदवार को नामांकित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर, बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर के साथ मेल होना चाहिए (जैसा कि शेयरहोल्डर्स रजिस्टर / डिपॉजिटरी रिकॉर्ड्स में दर्ज है)।
- 3) यदि ऊपर दिया गया कोई भी कॉलम खाली है या विवरण गलत पाए गए हैं, तो नामांकन अस्वीकार कर दिया जाएगा।



**Corporate Office: 254-260, Avvai Shanmugam Salai,
Royapettah, Chennai- 600 014**

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Indian Bank will be held on Thursday, the 11th November, 2021 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the following business:

Agenda Item No. 1:

To elect one Director from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government, in terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "the Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "the B R Act") and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as "the Scheme") and Indian Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999, as amended (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act and Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 issued vide RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR. Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 02, 2019 read with RBI circular No. DBR. Appt. BC. No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 and further amendment thereto, if any (hereinafter referred to as "RBI Directions") and Notification No.F.No.16/83/2013-BO.I dated 3rd September, 2013, F.No.16/51/2012-BO.I dated April 28, 2015 and dated July 20, 2016 of the Government of India read with the criteria laid down by the Government of India for consideration as Non-Official Director of Public Sector Banks on March 25, 2015, July 08, 2016 and any further amendment thereto, (hereinafter referred to as the "GOI Guidelines") and to pass the following resolution with or without modification(s):-

"RESOLVED THAT one Director elected from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government, pursuant to Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with Banking Regulation Act, 1949, relevant Scheme, Regulations made there under, RBI Directions and Government Guidelines, be and is hereby appointed as Director of the Bank for a period of three years from the date of assumption of office.

By order of the Board of Directors

Sd/-
(S.L. Jain)
Managing Director & CEO

Place: Chennai

Date: 05th October 2021

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT (S):

The Explanatory Statement (s) setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and forms part of the Notice.

2. HOLDING OF EGM THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("E-EGM"):

- (a) In view of the outbreak of the COVID-19 pandemic and pursuant to clarificatory General Circular Nos.14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020 and 10/2021 dated 8th April 2020, 13th April 2020, 15th June 2020, 28th September 2020, 31st December 2020 and 23rd June 2021 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") and in compliance with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the EGM of the Bank is being conducted through VC/OAVM facility, which does not require physical presence of members/shareholders at a common venue. The deemed venue for the EGM shall be the Corporate Office of the Bank situated at 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014. The Agenda item is unavoidable and as such it is being transacted at the EGM of the Bank through VC/OAVM.
- (b) The Bank is adhering and complying with all the provisions mentioned in the MCA Circulars. The Bank has made all the necessary arrangements to avoid failure of VC/OAVM connection. The Bank has ensured sufficient and adequate security to safeguard the integrity of the meeting.
- (c) Central Depository Services (India) Limited (CDSL) will be providing facility for voting through remote e-voting, for participation in the EGM through VC/OAVM facility and e-voting during the EGM.
- (d) In line with the MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of the EGM will be made available on the website of the Bank at www.indianbank.in as well as on the website of the Stock Exchanges namely BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Ltd. at www.nseindia.com .
- (e) As the EGM will be held through VC/OAVM facility, the Route Map is not annexed in this Notice as required under Secretarial Standard 2.
- (f) Shareholders holding shares in physical mode may temporarily register their e-mail Ids by clicking on the link <https://investors.cameoindia.com> to get the soft copy of the Notice of EGM.

3. VOTING RIGHTS :

The Agenda Item of the EGM being Election of Shareholder Director, the voting rights of the Shareholders/Beneficial Owners shall be reckoned on the equity shares held by him/her as on **Friday, the 08th October, 2021** (Specified Date fixed for the purpose).

The shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, is entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

Further, as per Regulation 10 of the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended, if any share stands registered in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

4. APPOINTMENT OF PROXY:

Since the EGM will be held through VC/OAVM, where physical attendance of shareholders/members in any case has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies in terms of extant MCA and SEBI guidelines. Accordingly, the facility of appointment of proxies by the shareholders will not be available for the EGM and as such, instrument for appointing proxy is not being attached with this EGM notice.

5. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Corporate Office of the Bank with the Company Secretary, Indian Bank, Investors Services Cell, Wing 2-C, 2nd Floor, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014 or a scanned certified to be a true copy of the aforesaid Resolution is emailed to scrutinizer@snaco.net and a copy to investors@indianbank.co.in, not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on November 06, 2021.

6. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:

As the meeting is being conducted through VC/OAVM, Attendance Slip-cum Entry Pass will not be required to attend the EGM.

In the event assembly restrictions are eased in entirety and in the event the Meeting is conducted at the Auditorium, the Attendance Slip-cum- Entry Pass will be made available at the venue for the benefit of the shareholders.

7. COMMUNICATION WITH REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENT:

The Shareholders holding shares in physical form are requested to approach the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Bank, to intimate changes, if any, in their registered address, to lodge request for transmission, issue of duplicate share certificate, ECS (Electronic Clearing System) Mandate etc. at the following address:-

Cameo Corporate Services Limited (Unit : Indian Bank)
Subramanian Building No.1,
Club House Road
Chennai - 600 002
Tele:- 044-28460390/91/92/93/94 (5 Lines)
Email: investor@cameoindia.com, cameo@cameoindia.com

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, Indian Bank has set up an Investor Services Cell at its Corporate Office, Chennai. Shareholders and investors may contact this Cell at the under mentioned addresses for any assistance:

The General Manager - CFO Indian Bank, Corporate Office 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014 Telephone No.-044-28134574 E-mail-cfo@indianbank.co.in	The Asst. General Manager & Company Secretary Indian Bank, Investor Services Cell 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014 Telephone No.044-28134698 Email-ibinvestorrelations@indianbank.co.in
--	---

8. UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" established under section 205C/125 of the Companies Act, 1956/2013.

Pursuant to the directives/guidelines of the Government of India, Ministry of Finance vide their letter No.F.No.7/93/2013- BOA dated 21.05.2014, the unpaid and unclaimed dividends amounts of the Bank upto the Financial Year 2013-14 have been transferred to "Investor Education and Protection Fund" of the Central Government.

The shareholders who have not encashed their dividend warrants, if any declared by the Bank for Financial Year 2014-15 and onwards are requested to lodge their valid claim(s) with Registrar and Share Transfer Agent, Cameo Corporate Services Limited, Subramanian Building, No.1, Club House Road, Chennai - 600 002, along with his/her Bank details for remittance of proceeds of the unpaid dividend warrant/s to him/her through NEFT/Direct Credit.

The details of the Unpaid Dividend Warrants have been made available on Bank's website www.indianbank.in.

9. CHANGE OF ADDRESS / BANK PARTICULARS / BANK ACCOUNT:

(a) For payment of dividend, declared if any, the Bank details registered with the NSDL/CDSL are downloaded by RTA from the respective Depository.

Accordingly, shareholders holding shares in electronic form are requested to update his/her bank details through their respective Depository Participant ("DP"). Indian Bank or its RTA cannot act on any request received directly from the shareholders holding shares in electronic form/demat account for any change of bank particulars or bank mandates or recorded address. Request for such changes, if any, have to be taken up by the shareholders with their respective Depository Participant, where he/ she is maintaining his/ her Demat Account.

(b) Shareholders holding shares in physical form are requested to send formal request to the Bank's Registrar & Share Transfer Agent (RTA), Cameo Corporate Services Ltd. at the address mentioned herein before:

(i) For Change of Address- Request/Application duly signed by the first/sole shareholder along with a valid documentary proof.

- (ii) For Change/Updation of Bank Details- Request/Application duly signed by the first/sole shareholder along with a cancelled cheque leaf bearing details like A/c No., MICR code, IFSC Code and name printed thereon.
- (c) While making any correspondence either with the Bank or Bank's RTA, shareholders must quote his/her respective folio number/s in case shares are held in physical form (Share Certificate) or DP Id & Client Id in case shares are held in electronic form (demat account).

10. GREEN INITIATIVE:

To contribute to the noble cause of 'Green Initiatives', being undertaken by the Bank, the shareholders are requested to register/update their email address through their DPs in case the shares are held in electronic form (Demat account). The email address of the shareholders who are holding shares in physical form (share certificate) can be registered/recorded by sending a written signed request to Bank's RTA, Cameo Corporate Services Limited at their aforementioned address.

11. EXERCISE OF VOTING RIGHTS THROUGH REMOTE E-VOTING:

In terms of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through Remote e-voting.

Remote e-voting is optional.

The Agenda Item of the EGM being Election of Shareholder Director, the voting rights of the shareholders/beneficial owners shall be reckoned on the equity shares held by him/her as on **Friday, the 08th October, 2021** (Specified Date fixed for the purpose).

12. DISPATCH OF NOTICE:

In line with SEBI and MCA guidelines, copies of the Notice of EGM shall not be dispatched in physical form and the same shall be sent through electronic mode to those shareholders whose email addresses are registered in Shareholders Record of the Bank.

Notice of EGM will be made available on the Bank's website www.indianbank.in.

13. DEMATERIALISATION OF PHYSICAL SHARE HOLDINGS:

In compliance of extant SEBI norms, the Bank shall not process transfer of shares in physical form. Accordingly, the shareholders holding shares in physical form (Share Certificate) are requested to get his/her shares dematerialized to eliminate all risks associated with physical shares. Dematerialization of shares also add to liquidity and the shareholder will be able to sell the shares as per his/her convenience through a Demat Trading Account linked to his/her Demat Account.

The indicative process for dematerialization of physical shares (Share Certificates) is as under:

- (a) Shares can be held in dematerialized (demat) form in National Securities Depository Ltd. (NSDL) or Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL). NSDL

and CDSL are depositories where the shares/securities of an investor/shareholder are held in electronic form through the medium of Depository Participants (DPs).

- (b) For getting the shares dematerialized, the shareholder will have to open a Demat Account with a Stock Broking Company or Bank offering Demat Services. Our Bank is also offering Demat Services through its subsidiary, Indbank Merchant Banking Services Ltd., (IBMBS). For further details, please log on to IBMBS website www.indbankonline.com.
- (c) After opening a Demat Account, the shareholder will have to surrender the Original Share Certificate(s) along with filled in and signed Demat Requisition Form (DRF) to his/her DP with whom he/she has opened his/her Demat Account.
- (d) The concerned DP will process the dematerialization request and after completion of verification of documents, number of shares as per the respective share certificate(s) gets credited in the Demat Account of the concerned shareholder.

14. SCRUTINIZER FOR REMOTE E-VOTING AND E-VOTING DURING EGM:

The Bank has appointed M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and e-voting during EGM in a fair and transparent manner.

15. PROCESS AND MANNER OF E-VOTING:

The instructions for members for voting electronically are as under:

The Electronic Voting Sequence Number (EVSN) –	
Agenda item No. 1: Election of one Director from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government	211008010

- (a) The Agenda Item of the EGM being Election of Shareholder Director, the voting rights of the Shareholders/Beneficial Owners shall be reckoned on the equity shares held by him/her as on **Friday, the 08th October 2021** (Specified Date fixed for the purpose).
- (b) The remote e-voting period will begin at **10.00 a.m. (IST) on Monday, November 08, 2021 and will end at 5.00 p.m. (IST) on Wednesday, November 10, 2021**. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Specified date i.e. October 08, 2021 may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting remotely thereafter.
- (c) The e-voting facility will also be made available during EGM. However, the shareholders who already cast their votes through remote e-voting will not be eligible to vote during the EGM.
- (d) SEBI vide their circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09.12.2020 advised as under:
 - (i) Under Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed entities are required to provide remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders'

resolutions. However, it has been observed that the participation by the public non-institutional shareholders/retail shareholders is at a negligible level.

(ii) Currently, there are multiple e-voting service providers (ESPs) providing e-voting facility to listed entities in India. This necessitates registration on various ESPs and maintenance of multiple user IDs and passwords by the shareholders.

(iii) In order to increase the efficiency of the voting process, pursuant to a public consultation, it has been decided to enable e-voting to all the demat account holders, by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants. Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the ESPs, thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.

(e) Pursuant to aforesaid SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09.12.2020, Login method for e-Voting and joining virtual meetings for individual shareholders holding shares/securities in Demat mode is as under:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding shares/securities in Demat mode with CDSL	<ol style="list-style-type: none"> 1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or visit www.cdslindia.com and click on Login icon and select New System Myeasi. 2) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies/ Banks where the e-voting is in progress as per the information provided by company/Bank. On clicking the e-voting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers i.e. CDSL/NSDL/KARVY/LINKINTIME, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3) If the user is not registered for Easi/ Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration 4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able

	to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders holding shares/ securities in demat form/ mode with NSDL	<ol style="list-style-type: none"> 1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsd.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the “Beneficial Owner” icon under “Login” which is available under ‘IDeAS’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on “Access to e-Voting” under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company/Bank name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsd.com. Select “Register Online for IDeAS “Portal or click at https://eservices.nsd.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsd.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company/Bank name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting
Individual Shareholders (holding shares/ securities in demat mode) login through their Depository Participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company/Bank name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important Note: Shareholders who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for individual shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 22-23058542-43.
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

(f) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for **shareholders other than individual shareholders holding shares in Demat form & physical form:**

- The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com
- Click on “Shareholders” module.
- Now enter your User ID:
 1. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 2. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 3. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
- Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company/Bank, then your existing password is to be used.
- If you are a first-time user follow the steps given below:

For Shareholders holding shares in Demat Form and Physical Form other than individual shareholders	
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) <i>Shareholders who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Bank/RTA or contact Bank/RTA.</i>
Dividend Bank Details or Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. <i>If both the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v).</i>

- After entering these details appropriately, click on “SUBMIT” tab.
- Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach ‘Password Creation’ menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is

to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

- For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- Click on the EVSN for the relevant <Company Name> on which you choose to vote.
- On the voting page, you will see “RESOLUTION DESCRIPTION” and against the same the option “YES/NO” for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.
- After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.
- Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- You can also take a print of the votes cast by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.
- If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

Facility for Non – Individual Shareholders and Custodians – Remote e-Voting

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the “Corporates” module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively Non Individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the

Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; investors@indianbank.co.in, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

16. VOTING AT/DURING THE EGM:

After discussion on the agenda item, the Bank will conduct voting in respect of the agenda item. Voting will be conducted and supervised by Scrutinizer(s) appointed for the purpose. The shareholder (s)/Authorized Representative(s) attending the meeting through VC/OAVM or in case physical meeting is held the shareholders present at the venue of the general meeting can exercise their votes through e-voting process during EGM. However, the shareholders who have already cast their votes through remote e-voting will not be entitled/eligible to participate in the e-voting process during the meeting/at the venue of the meeting.

17. INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR ATTENDING MEETING AND E-VOTING DURING THE EGM:-

- (a) The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the EGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
- (b) The Members can join the EGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation in the EGM through VC/OAVM will be made available to atleast 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the EGM without restriction on account of first come first served basis.
- (c) The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Bank will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for Remote e-voting.
- (d) Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote at the EGM.
- (e) Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / iPads for better experience.
- (f) Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- (g) Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

- (h) Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance **on or before November 08, 2021 upto 05.00 p.m. IST** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investors@indianbank.co.in . The shareholders who do not wish to speak during the EGM but have queries may send their queries in advance **on or before November 08, 2021 upto 05.00 p.m. IST** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investors@indianbank.co.in . These queries will be replied to by the Bank suitably by email.
- (i) **Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.**
- (j) Only those shareholders, who are present in the EGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Agenda item/Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the EGM.
- (k) If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the EGM and if the same shareholders have not marked attendance/participation in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.
- (l) The attendance of the Members attending the EGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL / MOBILE NO. ARE NOT REGISTERED IN SHAREHOLDER RECORD OF THE BANK / DEPOSITORIES.

- (a) For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to **RTA at email id murali@cameoindia.com**.
- (b) For Demat shareholders - Please update your email id & mobile no. through your respective Depository Participant (DP).
- (c) For Individual Demat shareholders – Please update your email id & mobile no. through your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meeting through Depository.

If you have any queries or issues regarding attending EGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542/43.

18. RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND E-VOTING DURING E-EGM:

The Results of the voting during the meeting/at the meeting aggregated with the results of Remote e-voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the stock exchanges, i.e. NSE & BSE.

By Order of the Board of Directors

Sd/-
(S. L. Jain)
Managing Director & CEO

Place : Chennai
Date : 05th October 2021

EXPLANATORY STATEMENT (S)

AGENDA ITEM NO. 1:

Election of one Shareholder Director:

In terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, if the capital issued to public by the Bank is **more than sixteen per cent but not more than thirty two per cent of the total paid up capital, then the Bank can have two Shareholder Director on its Board** to be elected from amongst the shareholders other than the Central Government.

Consequent upon the allotment of 11,60,74,569 new equity shares of face value of Rs.10/- each of the Bank to QIBs on 25.06.2021 against the QIP of Rs.1650 crore, the Public Shareholding in the Bank increased to 20.14% from 11.94%.

Now, the Public shareholding in the Bank is 20.14% and as such, the Bank can **have two Shareholder Director on its Board** to be elected from amongst the shareholders other than the Central Government.

As the present public shareholding in the Bank is 20.14% of the total paid up capital of the Bank, the Bank is entitled to elect two Shareholder Director.

Presently, the Bank has only one Shareholder Director namely Dr. Bharath Krishna Sankar.

In terms of Regulation 55 (i) of the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, a director under clause (i) of sub-section (3) of section 9 of the Act should be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the General Meeting of Indian Bank.

With a view to elect one more Shareholder Director, an Extraordinary General Meeting of the Bank has been convened for election of one Director representing shareholders other than the Central Government of the Bank.

The shareholders other than the Central Government are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in relevant Act / Regulation Act / Scheme / Regulations / RBI Directions / Directions from the Central Government, the relevant extracts/portions of which have been reproduced elsewhere herein after.

LEGAL PROVISIONS:

The following table indicates the provisions contained in various Acts/Regulation/ Scheme/Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (ne) Section 16 (1) Section 20	➤ Substantial Interest ➤ Prohibition of common Directors ➤ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9 (3A) (A) to (C) Section 9(3AA) & Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	➤ Restriction on voting rights ➤ No. of directors to be elected by the shareholders ➤ Special knowledge in certain fields ➤ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. ➤ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. ➤ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	➤ Term of office of elected directors ➤ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank ➤ Vacation of office of Director ➤ Removal from office of an elected Director ➤ Filling of casual vacancy in the office of an elected Director ➤ Disclosure of interest by directors in

	Clause 14A, Special provision	<p>certain arrangements in which they are interested.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ if the Board is satisfied that quorum for meeting of Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing.
Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended	<p>Regulation 10</p> <p>Regulation 53</p> <p>Regulation 55</p> <p>Regulation 56</p> <p>Regulation 57</p> <p>Regulation 58</p> <p>Regulation 59</p> <p>Regulation 60</p> <p>Regulation 61</p> <p>Regulation 62</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Exercise of rights of joint holders ➤ Voting at General Meetings ➤ Directors to be elected at General Meetings ➤ List of Shareholders ➤ Nomination of candidates for election ➤ Scrutiny of nominations ➤ Election disputes ➤ Determination of voting rights ➤ Voting by duly authorized representative ➤ Proxies
Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 issued vide RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR. Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 02, 2019	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019.
Letter dated 3 rd September, 2013 vide Ref F. No. 16/83/2013- (GOI), Ministry of Finance, Department of Financial Services and Revised Guidelines issued by the Government of India approved by		GOI guidelines for appointment of part-time non-official Directors in Public Sector Banks

Appointment Committee of the Cabinet for appointment of part time non official director dated 25 th March 2015 forwarded vide GOI letter F.No.16/51/ 2012-BO.I. dated 28 th April 2015 and Revised Guidelines dated 8 th July 2016 forwarded vide GOI letter F.No.16/51/ 2012- BO.I. dated 20 th July 2016 and subsequent amendments thereto, if any.	
RBI Master Circular RBI/2015-16/95 DBR No.DIR.BC.10/13.03. 00/2015-16 dated July 1 st , 2015	Granting loans and advances to relatives of Directors
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015	Provisions relating to Independent Director

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme, Regulation, Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 issued vide RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR. Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 02, 2019 read with RBI circular No. DBR. Appt. BC. No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 and GOI Guidelines will be made available on the Bank's website www.indianbank.in. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Asst. General Manager & Company Secretary, Indian Bank, Investor Services Cell, Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014 on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. Wednesday, the 27th October 2021.

PARTICIPATION IN ELECTION PROCESS:

As already indicated earlier, such of those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders for those holding shares in physical mode or in the list of Beneficial Owners as furnished by NSDL/CDSL for those holding shares in Demat mode, as on the **Specified Date i.e., on Friday, the 08th October, 2021**, shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of one director from amongst the shareholders other than the Central Government.

QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall:

- A. have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:
- i. Agricultural and rural economy
 - ii. Banking
 - iii. Co-operation
 - iv. Economics
 - v. Finance

- vi. Law
- vii. Small scale industry
- viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

(RBI vide its circular no.DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)

B. Represents the interest of depositors; or

C. Represents the interest of farmers, workers and artisans.

In terms of Section 9(3AA) of the Act, no person shall be eligible to be elected as Director under Section 9 (3) (i) of the Act, unless he is a person having “Fit and Proper” status based on track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank of India may notify from time to time in this regard.

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has issued notification DBR. Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02nd August 2019 laying down specific “Fit and Proper” Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

Further, the elected Directors will have to execute a deed of covenants, be subjected to Code of Conduct of the Bank and are required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India/ other regulatory authorities in this regard.

DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

- (A) In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:
- i) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - ii) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
 - iii) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
 - iv) if he holds any office of profit under any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India, Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and

- (B) If he is not found to be 'Fit and Proper' person in terms of Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 issued vide RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR. Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 02, 2019 read with the criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non-Official Director in Public Sector Banks, by the Nomination and Remuneration Committee of the Board of the Bank.

LIST OF SHAREHOLDERS:

Pursuant to Regulation 56 of the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e. CD/Pen Drive or such other media) will be available at Corporate Office of the Bank at Investor Services Cell 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014, from Tuesday, the 12th October 2021 onwards for purchase by Shareholders on payment of Rs.50,000 (Rupees fifty thousand only) by Demand Draft/Pay Order of Scheduled Bank in favour of "Indian Bank" payable at Chennai. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give a request letter addressed to "The Asst. General Manager & Company Secretary, Indian Bank, Corporate Office, Investor Services Cell, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014 with an undertaking that the list will be used only for the purpose of canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders will remain open for inspection by the shareholders at the Corporate Office, Investor Services Cell, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014 on all working days (other than Sundays, 2nd & 4th Saturdays and Bank Holidays) i.e. Monday to Saturday between 3.00 p.m. to 5.00 p.m.

If any shareholder requires a copy or computer print of select/part information, the same shall be supplied to him on prepayment at the rate of Rs.5/-(Rupees five only) for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

NOMINATION OF CANDIDATE(S) FOR ELECTION:

I. VALIDITY OF NOMINATIONS:

In terms of Regulation 57 of Indian Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999, as amended, RBI Directions and GOI Guidelines and any further amendment thereto or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a director, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

- (a) He/she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on Friday, the 08th October 2021 being the Specified Date fixed for the purpose of determining the eligibility of shareholders for participating in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.
- (b) As on Wednesday, the 27th October 2021, being the last date for receipt of nomination, he/she is not disqualified to be Director under the Act/ Regulation Act/Scheme/ Regulation / RBI Directions/GOI Guidelines.
- (c) The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled

to elect Director under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched/ deposited to the Corporate Office of the Bank addressed to the General Manager-CFO, Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.

- (d) The nominations is accompanied by or contain a declaration signed by the candidate before a Judge/ Magistrate/Registrar or Sub-Registrar of Assurances /other Gazetted Officer/an officer of the Reserve Bank of India/ any Nationalised Bank, that he/she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act/Regulation Act/Scheme/ Regulation /RBI Directions/applicable GOI guidelines from being a Director along with his/her personal details (bio-data) duly signed and affirming to the effect that such details are true to the best of his/her knowledge and belief and also his/her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- (e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed to this Notice (The proforma is also available on the Bank's website <http://www.indianbank.in> along with full Notice).
- (f) As on Wednesday, the 27th October 2021 being the last date for receipt of nominations, he/she is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Act, the Scheme, Regulations, RBI Directions, GOI Guidelines or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a Director of the Bank.

II. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS:

Shareholders other than the Central Government, desirous of contesting the election of the Director of the Bank must submit:

- (a) Duly filled in Declaration Form;
- (b) Nominations from minimum of one hundred shareholders entitled to participate in the election;
- (c) Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, viz. self attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc. in formats annexed to this Notice, in a sealed envelope to the General Manager-CFO, Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600 014, on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the Extraordinary General Meeting i.e., on or before closing hours of the Bank at 5.00 p.m., on Wednesday, the 27th October 2021.

The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

III. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:

- a) The scrutiny of Nominations shall commence on Thursday, the 28th October 2021 i.e. the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons there for.
- b) Valid Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination & Remuneration Committee (NRC) of the Board in terms of the RBI Directions and GOI Guidelines or by Board in terms of Clause 14A of the Scheme. As the restrictions imposed by RBI Direction/Notification and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidate(s).
- c) In terms of Clause 14A, Special Provision of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 if the Board is satisfied that quorum for meeting of Nomination & Remuneration Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in the Committee or recusal by member thereof, the Board itself may consider to undertake the due diligence process to determine the Fit & Proper status of the Candidate(s).
- d) The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the NRC/Board seek further information, documents from the candidate(s) in support of his / her candidature.
- e) If there are only one valid nomination for the one vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated and found Fit & Proper, shall be deemed to be elected forthwith and his / her name and address shall be published as so elected. In such an event, there shall not be any election/voting and the Extraordinary General Meeting convened solely for the purpose of the election shall stand cancelled. The newly elected directors will assume office from the date following that on which he/she is deemed to be elected.
- f) If there are more than one valid nominations, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and the candidate in receipt of the majority of the votes in his/her favour i.e. aggregate of remote e-voting and voting at the meeting will be deemed to have been elected and his/her name will be announced and also published in newspapers.

IV. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE:

If any candidate desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e., on or before 5.00 p.m. Friday, the 05th November 2021 by sending a letter addressed to the General Manager-CFO, Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014 by email at cfo@indianbank.co.in, followed by dispatch of the same by Courier/Speed Post/Registered Post.

V. VOTING PROCESS AT/DURING THE EGM:

The voting for election of Director shall be done through e-Voting (Remote e-voting and e-voting during EGM).

Remote e-voting period will begin at **10.00 a.m. (IST) on Monday, November 08, 2021 and will end at 5.00 p.m. (IST) on Wednesday, November 10, 2021**

The e-voting during EGM shall commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman of the meeting.

The shareholders can exercise their voting rights either through remote e-voting or e-voting during EGM. However, the shareholders who have cast their votes during Remote e-voting period shall not be entitled to cast votes during EGM.

The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them on 08th October 2021 (close of business hour), the Specified Date fixed for the purpose.

VI. ELECTION DISPUTES:

Election dispute, if any, will be settled as per Regulation 59 of the Indian Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999, as amended.

VII. EXTRACTS OF THE RELEVANT PORTIONS OF THE APPLICABLE ACT/REGULATION ACT/SCHEME/REGULATIONS/RBI DIRECTIONS/GOI:

Extracts of the relevant portions of the applicable Act/Regulation Act/Scheme/Regulations/RBI Directions/GOI Guidelines are reproduced hereinafter for the benefit of the shareholders.

INTEREST OF DIRECTORS:

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Director who file his nomination may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

ELECTION OF DIRECTORS - EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS, ETC.

The provisions regarding Election of Shareholder Directors and number of such Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government are contained in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The relevant Sections of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the relevant regulations of Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended, RBI's Fit and Proper Criteria issued vide RBI Notification No. 46 and 47 /29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with Notification No. DBOD. BC.No.95/ 29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and Guidelines for selection of part-time Non-official Director (GOI Guidelines) dated 01.06.2011 revised on 25.03.2015 and 08.07.2016 and made applicable to the Shareholder Directors vide GOI Office Memorandum dated 03.09.2013 are reproduced below for the information of the shareholders.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Substantial Interest - Section 5(ne):

- (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together in the shares thereof, the amount paid-up on which exceeds five lakh of rupees or ten per cent of the paid- up capital of the company, whichever is less;
- (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.

Prohibition of Common Directors - Section 16(1):

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances - Section 20:

- 1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking Company shall-
 - a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
 - b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of-
 - (i) any of its Directors
 - (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
 - (iii) any company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the Directors of the Banking Company is a Director, Managing Agent, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
 - (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.
- 2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5; Provided that the Reserve Bank may, in any case on application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit :

Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

- 3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
- 4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then, such period shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section:

- “Loan or advance” shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section.
 - “Directors” includes a member of any Board or Committee in India constituted by Banking Company for the purpose of managing or for the purpose of advising it in regard to the management of all or any of its affairs.
- 5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

Further, any reference made under aforesaid provisions pertaining to the Companies Act, 1956 shall be suitably construed as references made under relevant provisions under the Companies Act, 2013.

THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970

Restrictions on Voting Rights:

Section 3(2E): No shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors:

Section 9(3) (i): Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is:

- a) not more than sixteen per cent of the total paid up capital, one Director
- b) more than sixteen per cent, but not more than thirty two per cent of the total paid up capital, two Directors.

- c) more than thirty two per cent of the total paid-up capital, three Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government from amongst themselves.

Provided that on the assumption of charge after election of any such director under this clause, equal number of directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

Provided further that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (I) or sub-clause (II) or sub-clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office.

Section 9(3A): The Directors to be elected under the said clause (i) shall-

(A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters, namely:

- i. Agricultural and rural economy
- ii. Banking
- iii. Co-operation
- iv. Economics
- v. Finance
- vi. Law
- vii. Small scale industry
- viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

(RBI vide its circular no.DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)

(B) Represent the interests of depositors; or

(C) Represent the interest of farmers, workers and artisans

Section 9(3AA): Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub-Section (3) unless he is a person having 'fit and proper status' based upon the track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank of India may notify from time to time in this regard.

Section 9(3AB): The Reserve Bank of India may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Section 9(3B): Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and (3AA), it may after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirement of sub-section (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank in the next Annual General Meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

Section 13(2): Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other employee of a corresponding new Bank shall before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

Term of office of elected Director: Clause 9(4) :

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election. Provided that no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Disqualification of Directors:

Clause 10 :

A person shall be disqualified for being appointed as and for being a Director:-

- a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- d) if he holds any office of profit under any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from amongst the employees of the corresponding new Bank.

Vacation of office of Directors:

Clause 11:

1. If a Director becomes subject to any of the disqualifications specified in clause 10 or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings

thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.

2. The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
3. Without prejudice to the provision of the foregoing sub-clauses, the office of a Director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee other than workman of the Nationalised Bank of which he is a Director.
4. Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected Director:

Clause 11A :

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of an elected Director:

Clause 11B :

1. Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election.

Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled by the remaining Directors.

2. A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors:

Clause 12(8):

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalised Bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal :

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

- i. a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any public Company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any Corporation established by or under any law for the time being in force in India or any Co-operative society, with which or to which the Nationalised Bank has entered into or made, or proposed to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or
- ii. an officer or other employee of the Nationalised Bank, if he is a director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Special provision:

Clause 14A:

Where a nationalised bank is required by law to do any act or thing and in order to do so the recommendations or determination of, or resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review by any Committee of the Board of the bank is required, and if the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing.

INDIAN BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 1999, AS AMENDED:

Exercise of rights of joint holders:

Regulation 10:

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Indian Bank except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

Directors to be elected at general meeting: Regulation 55:

- i. A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the General Meeting of the Bank.
- ii. Where an election of a Director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

List of shareholders:

Regulation 56:

- i. For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 55 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the director is to be elected.
- ii. The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the

shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

Nomination of candidates for election:

Regulation 57:

- i. No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless,
 - a) he/she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in Indian Bank;
 - b) he/she is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme;
 - c) he/she has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
 - d) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;
 - e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of the Reserve Bank of India or any Nationalised Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.
- ii. No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head office of Indian Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

Scrutiny of nominations:

Regulation 58:

- i. Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for receipt of nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason thereof. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.
- ii. In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- iii. A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is or is deemed to be elected.

Election disputes:

Regulation 59:

- i. if any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- ii. On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.
- iii. The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared results of the election, or if it finds that the election was not a valid election, it shall, within thirty days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- iv. An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Voting Rights of Shareholders:

Regulation 60:

Determination of voting rights:

- i. Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of the closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- ii. Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a Company, is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation i.

Explanation- for this chapter, "Company" means any Body Corporate.

Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Voting by duly Authorized Representative:

Regulation 61:

- i. A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officers or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a "duly authorized representatives" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the Company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government/ Company.
- ii. No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorized representative of the Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

Proxies:

Regulation 62:

- i. No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/ her attorney, duly authorized in writing, or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorized in writing, or in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.

Provided that an instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub- Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of the Indian Bank.

- ii. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of the Bank or at any other place duly notified by the Bank in this regard, not less than FOUR DAYS before the date fixed for the meeting, together with the Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.
- iii. No instrument of the proxy shall be valid unless it is in Form "B".
- iv. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- v. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one Form shall be executed.

- vi. The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the Meeting to which such instrument relates.
- vii. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Indian Bank.
- viii. All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.

RESERVE BANK OF INDIA ('FIT AND PROPER' CRITERIA FOR ELECTED DIRECTORS ON THE BOARDS OF PSBs) DIRECTIONS, 2019:

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of undertakings) Act 1970/1980 notified Reserve Bank of India ('Fit And Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 vide their Notification No. RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR. Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 02, 2019.

SALIENT FEATURES OF THE RBI DIRECTIONS:

The Authority, Manner/ Procedure and Criteria for deciding the "Fit and Proper" status etc., are as under:

(a) Authority:

All the nationalised banks are required to constitute a "Nomination and Remuneration Committee" (Committee) consisting of a minimum of three non-executive directors from amongst the Board of Directors out of which not less than one-half shall be independent directors and should include at least one member from Risk Management Committee of the Board, for undertaking a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as directors under clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980. The Government of India nominee director and the director nominated under section 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 shall not be part of the Committee. The non-executive Chairperson of the bank may be appointed as a member of the Committee but shall not chair such Committee. The Board should also nominate one among them as Chairman of the Committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case the absence of any nominated member results in want of quorum, the Board may nominate any other non-executive director in his place for the meeting. At the time of constituting the Committee, the Board can decide on its tenure.

(b) Manner and procedure:

The banks shall obtain necessary information, and a declaration & undertaking, in the format annexed (Annex 1), from the persons who file their nominations for election. The Committee shall meet after the last date prescribed for acceptance of nominations and determine whether or not the person's candidature should be accepted, based on the criteria mentioned below. The Committee's discussions shall be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting, if done, shall also be noted. Based on the information provided in the signed declaration, the Committee shall decide on the acceptance or otherwise of the candidature and shall make references, where

considered necessary, to the appropriate authority / persons, to ensure that the candidate conforms to the requirements indicated.

(c) Criteria:

The Committee shall determine the 'fit and proper' status of the proposed candidates based on the broad criteria mentioned hereunder:

- (i) **Age**-The candidate's age should be between 35 to 67 years as on the cut-off date fixed for submission of nominations for election.
- (ii) **Educational qualification**-The candidate should at least be a graduate.
- (iii) **Experience and field of expertise**-The candidate shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters enumerated in section 9(3A)(A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, as the case may be, read with RBI Circular DBR.Appt.BC No 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016.
- (iv) **Disqualifications:** In addition to 'Disqualifications of Directors' as prescribed in Section 22 of the SBI Act, 1955 / Clause 10 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80:
 - (a) The candidate should not be a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.

Explanation: For the purpose of this sub-para and sub-para (c), the expression "bank" shall include a banking company, a corresponding new bank, State Bank of India, a co-operative bank and a regional rural bank.

- (b) A person connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities shall not be considered for appointment as elected director on the board of a PSB. However, investors of such entities would not be disqualified for appointment as directors if they do not enjoy any managerial control in them.
- (c) No person may be elected/ re-elected on the Board of a bank if he/she has served as director in the past on the board of any bank (It includes the bank in which he/she has served as director in the past)/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.
- (d) The candidate should not be engaging in the business of stock broking.
- (e) The candidate should not be holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.
- (f) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalised bank or State Bank of India.

- (g) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the bank in which nomination for election is filed.
- (v) **Tenure-** An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election: Provided that no such director shall hold office for a period exceeding six years, whether served continuously or intermittently.
- (vi) **Professional Restrictions-**
- (a) The candidate should neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the concerned bank nor should be engaged in activities which might result in a conflict of business interests with that bank.
- (b) The candidate should not be having any professional relationship with a bank or any NOFHC holding any other bank.
- (c) Provided that a candidate having any such relationship with a bank at the time of filing nomination for election shall be deemed to be meeting the requirement under item (b), the candidate shall submit a declaration to the Committee that such relationship with the bank shall be severed if he is elected as a director, and upon being elected, severs such relationship before appointment as a director of the bank.
- (vii) **Track record and integrity-**The candidate should not be under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and should not be a defaulter of any lending institution.

The banks shall obtain from the elected director:

- (a) a Deed of Covenant executed in the prescribed format, before such person assumes office of director; Fit & Proper Criteria for Elected Directors on the Boards of Public Sector Banks .
- (b) a simple declaration every year as on 31st March to the effect that the information already provided by such person has not undergone any change.
- (c) Where the elected director informs that there is change in the information provided earlier, the bank shall obtain from such director a fresh Annex 1 incorporating the changes.

The banks shall also ensure compliance to Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949. In addition,

- (a) Put in place a system of safeguards, including proper disclosure of the elected CA director's/his firm's clients, and not participating in bank's credit/investment decisions involving his/firm's clients. The elected CA director should be required to compulsorily dissociate himself from the entire process and sign a covenant to this effect.
- (b) Require the elected director to make a full and proper disclosure of his interests and directorships in business entities, with the director personally distancing

himself from and not participating in the bank's credit/investment decisions involving entities in which he is interested.

- (c) Not allot any professional work to a person who was an elected director of that bank, for a period of two years after demitting office as such director.

Where the elected director:

- (a) fails to:
- (i) Submit the Deed of Covenant or declaration; or
 - (ii) make proper disclosures; or
 - (iii) refrain from participating in credit/investment decisions, where he is interested; or
- (b) makes incomplete or incorrect disclosures, or
- (c) involves in such activities that render him/her 'not fit and proper' as per the criteria mentioned above,

such director shall be deemed to be not fulfilling the requirements of sub-section (3AA) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and shall be liable for the consequences thereof.

The Committee shall adopt the revised criteria stated above while scrutinizing the nomination of candidates seeking election as new directors (appointment/re-appointment). However, existing elected directors may be allowed to complete their current terms as per the pre-revised criteria.

GUIDELINES FOR SELECTION OF PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR:

GOI, vide its letter dated 3rd September 2013 advised that the Nomination Committee of the Board may keep in mind guidelines issued by GOI for Non Official Directors (NOD), while determining "Fit and Proper" status of the Shareholder Directors also. The GOI has forwarded revised guidelines dated 25th March 2015 to Public Sector Banks vide its letter dated 28th April 2015 and amendments dated 8th July 2016 vide its letter dated 20th July 2016, the gist of which are as under:

A) GENERAL :

1. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.
2. The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualification and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.

B) EXPERIENCE :

1. Persons with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, risk management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.

2. Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs/ EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/EDs of PSB will not be considered as NOD on the Board of any other PSB.
3. Academicians Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.
4. Chartered Accountants with 20 years' experience (excluding audit experience) would also be preferred.
5. However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases based on merits of the case.
6. As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST community.

C) EDUCATION :

An NOD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

D) AGE :

The age of the Director, on the date of recommendation by Search/Nomination Committee should not be more than 67 years.

E) WORK EXPERIENCE :

Professionals/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

F) DISQUALIFICATIONS :

1. A director already on a Bank/Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD in any other Bank/FI/RBI/Insurance Company.
2. Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/FIs/RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.
3. No person may be re-nominated as an NOD on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.
4. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in any Public Sector Bank as a Statutory Central Auditor.

5. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in the Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor.

G) TENURE :

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company if such Director has already been a NOD/ Shareholder-Director on the board of any other Bank/FI/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

H) PROFESSIONAL RESTRICTION :

The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalised Banks Scheme (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 may be separately examined.

I) REGIONAL REPRESENTATION :

Efforts should be made to ensure representation of all the six zones of the country- North, South, East, West, Central and North-East on the boards of Public Sector Banks taken together.

As restriction imposed by RBI Direction and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidates

By order of the Board of Directors

Sd/-
(S.L. Jain)
Managing Director & CEO

Place: Chennai

Date: 05th October 2021



Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600014

Please affix latest
photograph here

Name of Bank: Indian Bank

'Declaration and Undertaking' by a proposed Director (Candidate)
(with appropriate enclosures)

Sr No	Particulars	Information Disclosed										
I. Personal Details:												
1.	Name in full	First Name	Middle Name	Last Name								
2.	Father's name											
3.	Gender (M/F/others)											
4.	Present address											
5.	E-mail address & alternate e-mail address: Telephone Number with STD code: Mobile Number:											
6.	Nationality											
7.	Date of Birth (dd/mm/yyyy) and Age	--/--/---- Age: -- years -- months										
8.	Educational qualifications											
9.	Director Identification Number (DIN)											
10.	Aadhaar Number (Optional)											
11.	(a) Permanent Account Number (PAN) (b) Charge where the proposed director is assessed to tax (Income Tax jurisdiction)/ name and address of Income Tax Circle/Ward (c) Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Date of filing</th> <th>Amount of Tax Paid (INR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Date of filing	Amount of Tax Paid (INR)						
Date of filing	Amount of Tax Paid (INR)											
12.	Permanent address											

Sr No	Particulars	Information Disclosed			
13.	Details in the form of a brief write up on the relevant knowledge or experience in respect of one or more of the matters namely accountancy, agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, information technology, payment and settlement systems, human resources, risk management, business management or any other matter the special knowledge of and practical experience of which would in the opinion of the Reserve Bank be useful to the Banking Company.				
14.	Present occupation (designation, name of the organization and brief write-up on experience)				
15.	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organization(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.				
16.	In case a Chartered Accountant, indicate the following: (a) Membership Number of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI): (b) Date of registration with the ICAI: (c) Name and Address of the registered firm/s: (d) Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s) or by you:				
17.	Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings /current / loan accounts) where you are a primary account holder:	Bank Name	Branch	Type of A/c	A/c Number
18.	Details of shareholding, if held in any entity, either in physical or dematerialized form, by you, spouse, and your minor child. (attach demat / shareholding certificate)				
19.	Any other information relevant to directorship of the bank:				

Sr No	Particulars	Information Disclosed	
II. Relevant Relationships of proposed director:			
20.	List of relatives, [Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Specification of Definition) Rules, 2014] if any, who are connected with any bank:		
21.	List of entities in which: Interested [Refer Section 184 of the Companies Act, 2013]: (a) beneficial ownership [Refer Section 89 of Companies Act, 2013 as also the applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]: (b) Trustee (also mention any other relationship with reference to a trust):		
22.	List of entities, existing and proposed, in which holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne)* of the Banking Regulation Act, 1949.	Name of the company / firm	
		Country of incorporation	
		Number of shares	
		Face Value of each share	
		Total face value of share holding	
		Shareholding as % of total Paid up Capital	
		Beneficial interest (in value as well as % terms)	
		Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013	
23.	Details of holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India.		
24.	Name of Bank/NBFC/any other company in which currently or in the past a member of the Board/ Advisor etc. (giving details of period during which such office is being/ was held).		

**substantial interest" (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds five lakhs of rupees or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less; (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.*

Sr No	Particulars	Information Disclosed
25.	If connected with any entity undertaking hire purchase, financing, investment, leasing and other para banking activities (nature of association to be mentioned), details thereof.	
26.	If a stock broker or connected with any entity engaged in share broking activities, details thereof.	
27.	Details of fund and non-fund-based facilities, if any, presently availed in person and/or by entities listed in (21) to (26) above.	
28.	Cases, if any, where as an individual or the entities listed at (21) to (26) above have defaulted or declared as willful defaulter in the past in respect of credit facilities Obtained from a bank/ NBFC / any other lending institution.	
III. Records of professional achievements:		
29.	Professional achievements relevant for the directorship.	
IV. Proceedings, if any, against the proposed director:		
30.	(a) As a member of a professional association / body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any Profession /occupation at any time, details thereof.	
	(b) If subject of any written complaint or accusation regarding individual professional conduct or activities, details thereof.	
31.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self or the entities listed at (21) to (26) above for violation of economic laws and regulations.	
32.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction.	
33.	If indulged in any breach of AML/CFT guidelines, details thereof.	
34.	If attracting any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013, details thereof.	

Sr No	Particulars	Information Disclosed
35.	If adjudicated insolvent or has suspended payment or has compounded with creditors, details thereof.	
36.	If found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court, details thereof.	
37.	(a) If convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude or otherwise, details thereof.	
	(b) If convicted by any Court of law, details thereof?	
38.	If holding any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India, except for holding the post of a whole-time director, details thereof.	
39.	If as an individual or any of the entities at (21) to (26) above have been subject to any investigation/vigilance/ matters of enquiry from any of the previous employers or government departments or agency, details thereof.	
40.	If found guilty of violation of rules/regulations / legislative requirements by Customs/excise/ income tax / foreign exchange/ other revenue authorities, details thereof.	
41.	<p>If reprimanded, censured, restricted, suspended, barred, enjoined, or otherwise sanctioned by any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA etc., professional organization, government agency, or court because of professional conductor activities, details thereof.</p> <p><i>(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order is temporarily stayed and the appellate/ court proceedings are pending, the same also should be mentioned).</i></p>	

Sr No	Particulars	Information Disclosed
V. General Information:		
42.	If a professional like Chartered Accountant, Advocate etc. and presently undertaking/undertaken any professional work in any bank, provide details thereof including the name of the bank and period of association with the bank.	
43.	If a sitting MP/MLA/MLC or holding political position in Municipal Corporation or Municipality or other local bodies, provide details thereof.	
VI. In the interest of disclosure and transparency, should there be any other information relevant for assessing 'fit and proper', provide details thereof.		
<u>Undertaking</u>		
I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place after my appointment which are relevant to the information provided above.		
I also undertake to execute a 'Deed of Covenant' as required to be executed with the bank.		
	Place :	Signature of proposed Director (Candidate)
	Date :	
	Remarks of Nomination and Remuneration Committee (NRC) / Board of having satisfied itself that the above information is true and complete.	
	Place :	Signature of the Chair of the NRC/Board
	Date :	



Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600014

**Declaration
(By the Candidate)**

I,.....son / daughter / wife of
Shri/Smt.....a resident of
.....
hereby confirm that :

- a. I am a Shareholder holding equity shares of face value of Rs.10/- each of the Bank under Folio No...../ DPID...../ Client ID..... as on Friday, the 08th October 2021, i.e., the Specified Date fixed by the Bank for participating in the election, and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank;
- b. *I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law, (vii) small scale industry, (viii) the special knowledge of IT/Payment & Settlement Systems/Human Resources/Risk Management/Business Management etc. or any other matter and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and

(*Delete whichever is not applicable.)
- c. I accept the nominations numbering; and
- d. I am willing to contest for the election of Director of Indian Bank; and
- e. I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Indian Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999, as amended, relevant Notifications/Directions issued by RBI and Guidelines issued by GOI with regard to Non Official Directors of Public Sector Banks; and
- f. I am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013; and
- g. I neither hold any office of profit nor I am an employee of any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

I further declare that:

- h. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors; and
- i. I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and have not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; and
- j. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other court; and

- k. I have not been a Director on the Board of this Bank, in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer; and
- l. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and
- m. I am not a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank; and
- n. I am not connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities; and
- o. I have not served as director in the past on the board of any bank/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently; and
- p. I am not engaging in the business of stock broking; and
- q. I am not holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.); and
- r. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalised bank or State Bank of India; and
- s. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Indian Bank in which nomination for election is filed; and
- t. I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the Indian Bank nor I am engaged in activities which might result in a conflict of business interests with Indian Bank; and
- u. I am not having any professional relationship with a bank or any NOFHC holding any other bank and undertake sever the relationship with the Bank if elected before assuming charge as a director; and
- v. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution; and
- w. I undertake to execute Deed of Covenant (in the prescribed format of RBI circular dated 02.08.2019) before assuming office as a director; and
- x. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and
- y. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as a Director of the Bank; and

z. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects, and

Name of the Company / Bank	Directorship details viz. tenure, period etc.

(add additional sheets if necessary) (Delete whichever is not applicable.)

Place:

Signature:

Date:

Name:

The above declaration signed before me

Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Indian Bank or any Nationalised Bank.

(Delete whichever is not applicable.)

_____.

Signature and Seal with Date



Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014

**NOMINATION FORM
(BY THE SHAREHOLDER)**

Serial No.....

To,
The Managing Director & CEO,
Indian Bank, Corporate Office
254-260, Avvai Shanmugam Salai,
Royapettah, Chennai- 600 014

Dear Sir/Madam,

ELECTION OF DIRECTOR

With reference to your Notice dated 05th October 2021 I,
a shareholder of Indian Bank holding.....equity shares of face value of
Rs.10/- each as on Friday, the 08th October 2021, being the Specified Date considered for participating
in the election, do hereby nominate Shri/Smt.....son /
daughter / wife of ShriResiding at.....
....., for being elected as a Director of Indian Bank
representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of the Banking Companies
(Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extraordinary General Meeting of the
Shareholders of the Bank to be held on Thursday, the 11th November 2021.

Signature	
Name	
No. of shares held as on Specified Date	
Regd. Folio No./ DP ID & Client ID	
Place:	
Date:	

Notes:

- 1) In case nomination is made a Body Corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed at the meeting of the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- 2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank. (As recorded in the Register of Shareholders/Depository Records).
- 3) If any of the columns above is left blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.